





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- नेहिया खुर्द बुजुर्ग

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार













क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत

कार्ययोजना

संत कबीर नगर 🧵

ग्राम पंचायत- नेहिया खुर्द बुजुर्ग

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार





प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री महेंद्र सिंह तंवर, आईएएस, जिलाधिकारी, संत कबीर नगर श्री संत कुमार, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वस्था फाउंडेशन

सुश्री मेखला शास्त्री, सुश्री रिया सेठिया, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त, सुश्री स्वाति गुप्ता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

ग्राम प्रधान, नेहिया खुर्द

श्रीमती नीलम सिंह

क्षेत्रीय शोध समर्थन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





महेन्द्र सिंह तंवर आई.ए.एस.



जिलाधिकारी, संत कबीर नगर (उ.प्र.) 05547-226890 (O) 226889 (R)/226964 (F) 9454417529 (CUG) Email- dmskn@nic.in अ०शा०पत्र संo......

संदेश



ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग, विकास खण्ड खलीलाबाद, जनपद संतकबीर नगर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुडे है और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुडे जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

में इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, तथा स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर, उ०प्र०, को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगा।

धन्यवाद!

(महेन्द्र सिंह तंवर) जिलाधिकारी संत कबीर नगर



संत कुमार P.D.S मुख्य विकास अधिकारी





संदेश

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा ग्राम्य संस्था, वाराणसी जी०ई०ए०जी०, गोरखपुर, उ०प्र० के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करे। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते है, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते है जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मज़बूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

धन्यवाद!



श्रीमती नीलम सिंह ग्राम-प्रधान

ग्राम सभा– नेहियाँ खुर्द बुजुर्ग पो0–डीया, विकास खण्ड–खलीलाबाद जनपद–संत कबीर नगर मो0–6394813832

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग, जनपद संत कबीर नगर की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मै अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमित से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर तथा ग्राम्य संस्था, वाराणसी का तथा आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, की भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों को अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करती हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

नीलम सिंह

(प्रधान)

ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग,



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल	4
	 नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत एक नज़र में 	4
	 जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल 	5
	 प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ 	6
	• कार्यरत महिलाएं	7
	• कृषि	7
	 प्राकृतिक संसाधन 	8
	• नेहिया खुर्द में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित सुझाव	12
	1. हरित स्थानों और जैव विविधता को बेहतर बनाना	13
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	17
	 सतत कृषि 	21
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	26
	 स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच 	31
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	41
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	45
6	विचारार्थ अतिरिक्त सस्तुतियों की सूची	49
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	55
8	आगे की राह	61
	जान तम हाट	61
9	अनुलग्नक	62

चित्र

चित्र 1	:	नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत, संत कबीर नगर जिले का भूमि-उपयोग का मानचित्र	5
चित्र 2	:	नेहिया खुर्द में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वर्ष 1990-2019	6
चित्र 3	:	नेहिया खुर्द में वार्षिक वर्षा, वर्ष 1990-2019	6
चित्र 4	:	नेहिया खुर्द में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5	:	नेहिया खुर्द में घरेलू स्तर पर आय वितरण	6
चित्र 6	:	नेहिया खुर्द में राशन कार्ड वाले परिवार	6
चित्र 7	:	नेहिया खुर्द में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	:	नेहिया खुर्द में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	7
चित्र 9	:	नेहिया खुर्द में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण	7
चित्र 10	:	वर्ष 2022 में नेहिया खुर्द में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र ११	:	वर्ष 2022 में नेहिया खुर्द के कार्बन फ़ुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत उत्तर-पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। नेहिया खुर्द की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने और 2035 तक

क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त करते हुए लचीलापन निर्माण, अनुकूली क्षमता को बेहतर बनाने, इसके जोखिमों को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करने हेतु एक ग्राम पंचायत आधारित - विशिष्ट रोडमैप प्रदान करती है।

प्रस्तुत जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्ययोजना विकास के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का संदर्भ लेते हुए तैयार किया गया है। नेहिया खुर्द के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, उत्तर-पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, फोकस समूह चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों द्वारा प्राप्त जानकारी को भी सम्मिलित किया गया हैं। इससे पंचायत में पर्यावरण संबंधी मुद्दों की पहचान करने और आधारभूत संरचना बनाने में मदद मिली है।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह: ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) तकनीक, जिसमें समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण आदि सम्मिलित है, द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं योजना विकास

- जीपी प्रोफ़ाइल का विकास: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक विस्तृत जीपी प्रोफ़ाइल विकसित की गई थी। इस प्रोफ़ाइल में नेहिया खुर्द की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं शामिल हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और एचआरवीसीए में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रमुख विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट अनुमान: नेहिया खुर्द में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था
- प्रस्तावित सुझाव: पर्यावरण और जलवायु संबंधी पहचाने गए मुद्दों के आधार पर नेहिया खुर्द हेतु सुझाव विकसित किए गए। ये सुझाव उत्तर-पूर्वी मैदानी इलाकों की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, नेहिया खुर्द की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना के विकास के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

¹ ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन के साथ-साथ खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) के पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया हैं।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और तीन मजरे और पंचायत में 438 घर हैं जिनकी कुल आबादी² 2,700 है। यहाँ लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत का कार्बन फ़ुटप्रिंट ~1,882 tCO₃e³ है।

ग्राम पंचायत में त्वरित कार्य करने हेतु प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान की गयी:-

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और संरक्षण को बढ़ाने के लिए सोलर रूफटॉप, सौर पंपों, कृषि-फोटोवोल्टिक, ऊर्जा दक्ष फिक्स्चर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा कुशल/दक्ष समाधानों का उपयोग करना उचित होगा।
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना और हरित क्षेत्र में सेवाओं के अवसर बनाना
- जलभराव को कम करने और बचाव के लिए सड़क और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- गर्मी से होले वाली समस्याओं को कम करने हेतु ठंडे स्थानों को तैयार किया जाने पर कार्य करना और ऊर्जा दक्षता बढ़ाना

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान उभर के आए मुद्दों, तथा ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। यह सुझाव कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हिरत स्थलों को बढ़ावा देना, सतत कचरा प्रबंधन, सतत आवागमन, और बेहतर आजीविका और हिरत उद्यमिता के विषयों को समाहित करते हुए तैयार किए गए हैं। इन सुझावों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है जिसमें चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। इन चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेकानुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अलावा, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत और केंद्र और राज्य में संचालित योजनाएँ के साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के तरीके भी सुझाए गए हैं।

नेहिया खुर्द के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि इसे नेहिया खुर्द की वर्तमान ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

जलवायु स्मार्ट कार्ययोजना से नेहिया खुर्द जीपीडीपी को पूरक और संपूरित किया जाएगा:

- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित करना।

इस कार्ययोजना के अंतर्गत गतिविधियों और वार्षिक लक्ष्यों को नेहिया खुर्द जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ अभिसरण में लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा बजटीय आवंटन का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकायों के कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के "गैर-पारंपरिक ऊर्जा" विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के परिनियोजन को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 3,738 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई उत्सर्जन (tCO₂e) को कम किया जा सकता है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1,22,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂) तक बढ़ जायेगी। इस योजना के तीन चरणों में कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹30 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग मुख्य रूप से सम्मिलित है। इस धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹10 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनों/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबिक शेष लागत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को सम्मिलित करने और निजी वित्त एकत्र करने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

² जनगणना २०११ आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या- २,०७८

³ इसमें ग्राम पंचायत में बिजली की खपत से उत्तपन्न स्कोप 2 उत्सर्जन (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़ों और सीईए से प्राप्त ग्रिड एमिशन फैक्टर) शामिल है।

क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत



को बेहतर बनाना



ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल

नेहिया खुर्द बुजुर्ग (नेहिया खुर्द)

नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत एक नज़र में[†]

🛇 स्थान	विकास खंड खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर
्रां कुल क्षेत्रफल⁴	202 हेक्टेयर
क्री संघटन	1 राजस्व गांव और 3 टोले
०० कुल जनसंख्या⁵	2,700
पुरुषों की संख्या	1,400
महिलाओं की संख्या	1,300
कुल परिवार⁵	438

पंचायत अवसंरचना



5 - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक भवन (अच्छी स्थिति में), आशा केंद्र और आंगनवाड़ी (मरम्मत/नवीनीकरण की आवश्यकता है)



प्राथमिक आर्थिक गतिविधि

भूमि उपयोग

कृषि भूमि 150 हेक्टेयर कृषि वानिकी वृक्षारोपण 1.6 हेक्टेयर



सामान्य भूमि 0.6 हेक्टेयर

जल निकाय 3.1 हेक्टेयर तालाब

46.7 हेक्टेयर शेष भूमि (नेहिया खुर्द का भूमि-उपयोग मानचित्र चित्र 1 में देखें)



जल संसाधनः

4 तालाब (2 अमृत सरोवर सम्मिलित हैं)

कृषि-जलवायु क्षेत्र

- उत्तर-पूर्वी मैदान
- जलवायु परिस्थितियाँ: उच्च वर्षा के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय



- अधिकतम तापमान: 44.2 डिग्री सेल्सियस
- न्यूनतम तापमान: 4.9 डिग्री सेल्सियस
- औसत वार्षिक वर्षा: 1240 मिमी
- मिट्टी: बलुई दोमट/जलोढ और चूनायुक्त मिट्टी
- नाजुकता : बाढ़ का खतरा



जिले का समग्र जोखिम सूचकांक

मध्यम

जिले के क्षेत्रीय जोखिम सूचकांक




- जल नाजुकता: उच्च
- ग्रामीण विकास नाजुकता: उच्च

ऊर्जा नाजुकता: उच्च

- आपदा प्रबंधन नाजुकता: मध्यम
- स्वास्थ्य नाजुकताः कम
- क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य/डेटा जिसका संचालन योजना की तैयारी के लिए किया गया था (फरवरी, 2023)
- ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारियों के आधार पर। भुवन (BHUVAN) से प्राप्त तथ्य/डेटा के आधार पर ग्राम पंचायत का क्षेत्रफ़ल 26 हेक्टेयर है। https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.htmlपर उपलब्ध है.
- शुरूआती क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार कुल जनसंख्या- 2578; पुरुष- 1337; महिला- 1241 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या- 2078; पुरुष- 1078; महिला- 1000
- 417 पक्के घर और 21 कच्चे घर
- ग्राम पंचायत के साथ कई चरणों की चर्चा के बाद प्राप्त डेटा से।
- उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0 (SAPCC 2.0)





चित्र 1: नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत, संत कबीर नगर जिले का भूमि-उपयोग का मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)⁹ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता (तापमान और वर्षा) - के आंकड़े बताते हैं कि 1990 और 2019 के बीच क्षेत्र (संत कबीर जिला) में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 देखें) . इसी समयाविध के दौरान, वार्षिक वर्षा में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखता है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ों से पंचायत स्तर की तापमान परिवर्तनशीलता का विवरण मुश्किल है और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच सम्पूर्ण एशिया विश्व की भूमि और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुए है और 2010-2020¹⁰ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी प्रकार के निष्कर्षों की पुष्टि आईपीसीसी¹¹ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹² द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 15 दिनों की वृद्धि और शीतकाल के दिनों की संख्या लगभग 30 दिन की कमी देखी गई है। इसके साथ-साथ, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20-25 दिनों की कमी आई है।

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के बारे में संतुलित दृष्टिकोण सामने लाने के लिए आईएमडी डेटा के साथ-साथ सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।


⁹ दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) और दैनिक वर्षा के आंकड़ों को बस्ती, गोरखपुर आईएएफ और गोरखपुर पीबीओ मौसम स्टेशनों से नेहिया खुर्द के लिए लिया गया है

¹⁰ https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)


¹¹ https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

¹² https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट। स्प्रिंगरलिंक

¹³ योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडें




चित्र 2: नेहिया खुर्द में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वर्ष 1990-2019



चित्र 3: नेहिया खुर्द में वार्षिक वर्षा, वर्ष 1990-2019


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

क्षेत्रीय सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि ग्राम 3% पंचायत में आय का मुख्य स्रोत है (कुल ग्राम पंचायत क्षेत्र का लगभग 74 प्रतिशत खेती के अंतर्गत है)। इसके बाद (24 प्रतिशत) गैर-कृषि मजदूरी-श्रम में संलग्न हैं। कुछ परिवार कुटीर उद्योग गतिविधियों, पशुपालन और स्थानीय दुकानों जैसे व्यवसायों में संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)।



चित्र 4: नेहिया खुर्द में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत

केन्द्रिय समूह परिचर्चा से प्राप्त घरेलू स्तर की आय के अनुमान से पता चलता है कि 50 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच धन अर्जन करते हैं और केवल एक छोटा सा हिस्सा, 2 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये से अधिक धन का अर्जन करते हैं (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के समय नेहिया खुर्द में 92 बीपीएल परिवार थे (नेहिया खुर्द में कुल परिवार का ~18 प्रतिशत)। राशन कार्ड डेटा से पता चलता है कि लगभग 87 प्रतिशत परिवार सार्वजिनक वितरण योजना से लाभ उठाते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 92 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं (चित्र 6 देखें)।




चित्र 6: नेहिया खुर्द में राशन कार्ड वाले परिवार

चित्र 5: नेहिया खुर्द में घरेलू स्तर पर आय वितरण

¹⁴ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

कार्यरत महिलाएं

नेहिया खुर्द में अधिकांश महिलाएं कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। कुछ लोग सेवा क्षेत्र, पशुपालन, सिलाई (व्यक्तिगत घरेलू स्तर), मजदूरी और व्यवसाय (स्थानीय दुकानें) जैसी गतिविधियों में भी संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में 50 महिला मुखिया परिवार है जो कुल परिवारों का 11 प्रतिशत है¹⁵। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से पता चला कि नेहिया खुर्द में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का एक सक्रिय नेटवर्क है। यहां 14 एसएचजी हैं जो ज्यादातर सिलाई, बकरी पालन और स्थानीय दुकानें चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।




चित्र 7: नेहिया खुर्द में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या


कृषि

41 प्रतिशत परिवार जो आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं (चित्र 4 देखें), विभिन्न व्यवस्थाओं से कृषि में संलग्न हैं, जैसा चित्र 8 में दिखाया गया है।

नेहिया खुर्द में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 150 हेक्टेयर है जबिक सकल फसल क्षेत्र 254 हेक्टेयर है। उगाई जाने वाली प्रमुख ख़रीफ़ फसल चावल (~5,800 क्रिटल) है और उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फ़सलें गेहूं (~5,040 क्रिटल), सरसों (~247 क्रिटल) और कुछ सब्जियाँ हैं। चित्र 9 ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण देता है। जबिक अधिकांश कृषि वर्षा आधारित है, सिंचाई के अन्य स्रोतों में ट्यूब-वेल और पंप सेट शामिल हैं। ग्राम पंचायत सिंचाई के लिए अधिकतर डीजल पंपों पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में एक सौर पंप भी स्थापित है।







चित्र 9: नेहिया खुर्द में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण

¹⁵ महिला प्रधान परिवार वे घर हैं जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

¹⁶ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मींदार बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के मालिक किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं

इस ग्राम पंचायत में लगभग 8 प्रतिशत परिवार डेयरी और मुर्गी पालन में लगे हुए हैं। कुल पशुधन आबादी 1,100 (200 गाय, 350 भैंस, 550 बकरी) है और लगभग 5,000 मुर्गियाँ हैं।

प्राकृतिक संसाधन

नेहिया खुर्द में कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत⁷⁷ में चार जल निकाय हैं, जिनमें से एक को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, ग्राम पंचायत के पास 0.6 हेक्टेयर सामान्य भूमि है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अतिक्रमण (~83 प्रतिशत) है। पिछले 15-20 वर्षों से नेहिया खुर्द में कृषि वानिकी के रूप में वृक्षारोपण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में, ये वृक्षारोपण कुल 1.6 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वृक्षारोपण को राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (एनएएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से लागू किया गया है। सागौन, आम, अमरूद, शीशम और ब्लैकबेरी प्रमुख वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया गया था जिनकी औसत जीवित रहने की दर 60 प्रतिशत थी।

¹⁷ जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संकेत मिला है।

नेहिया खुर्द में सुविधाएं

बिजली और एलपीजी

- बिजली की पहुंच: 100% घरों तक
- एलपीजी कवरेज: 100% परिवार

ਯਲ

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत में आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत भूजल
- 98% घरों में पाइप से जलापूर्ति होती है

अपशिष्ट पदार्थ

- खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल किया गया
- घरेलू शौचालय कवरेज: 95%

गतिशीलता और बाज़ार तक पहुंच[®]

- 1 किमी की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी
- 6 किमी की दूरी पर रेलवे स्टेशन है
- 5 किमी की दूरी पर बस स्टेशन है
- कृषि बाज़ार 0.6 किमी की दूरी पर है
- राशन की दुकान 0.4 किमी की दूरी पर है
- डाकघर 1.6 किमी की दूरी पर है
- बैंक 5.5 किमी की दूरी पर है

शिक्षा

- सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल

स्वास्थ्य


- 1 आंगनवाड़ी केंद्र
- 1 आशा केंद्र














कार्बन फुटप्रिंट

मीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रेखा विकसित करना था। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, सुझाव में उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी पूर्वानुमान सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला से लगभग 1,882 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e) उत्सर्जित किया गया है (चित्र 10 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपिशृष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने नेहिया खुर्द के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में चावल की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन से उत्सर्जन और पशु अपिशृष्ट का खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाना सम्मिलित है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत⁹, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और एलपीजी (रसोई गैस) के दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपिशृष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपिशृष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: वर्ष 2022 में नेहिया खुर्द में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र का योगदान कुल उत्सर्जन का ~50 प्रतिशत है, जिसमें पशुधन (~412 tCO2e) और चावल की खेती (~400 tCO2e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा ~44 प्रतिशत है। क्षेत्र के भीतर, परिवहन प्रमुख उत्सर्जक है (~302 tCO2e), इसके बाद बिजली की खपत (256 tCO2e), और आवासीय खाना पकाना (~178 tCO2e) है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत है।



चित्र 11: वर्ष 2022 में नेहिया खुर्द के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

¹⁹ बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है।



व्यापक मुद्दे

चाने गए व्यापक मुद्दे पंचायत की आधारभूत रेखा/बेसलाइन को स्थापित करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों और किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों तथा समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पृष्टि उपलब्ध सरकारी डेटा स्रोतों से भी की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूर्ण रूप से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए पंचायत स्तर के आंकड़ें पृष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे संबंधित विषयों के अनुशंसा अनुभाग/सुझावों में सूचीबद्ध किए गए हैं।

- मौसमी अविध में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के अतिरिक्त बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- जून से अगस्त के महीनों में अक्सर सूखा पड़ता है, जबिक जुलाई, अगस्त और सितंबर में जलजमाव की समस्या होती है
- अस्थाई कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन
- जल निकायों सिहत प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

5

प्रस्तावित सुझाव

स्येक विषयगत मुद्दे में कई गतिविधियां सम्मिलित हैं, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। हस्तक्षेपों को चरणबद्ध लक्ष्यों और **अनुमानित²⁰ लागतों** (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। सभी लक्ष्यों को तीन चरणों विभाजित किया गया हैं: चरण-। (2024-25 से 2026-27); चरण-॥ (2027-28 से 2029-30); और चरण-॥ (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में वितरित किया जा सकता है। वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य विकसित करने का खाका दस्तावेज़ "जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" से संदर्भित किया जा सकता है। एसओपी एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु स्मार्ट कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

चिह्नित किए गए वित्तपोषण के स्रोतों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न बंधी और खुली निधि या सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। इसकी विस्तृत सुझाव निम्नलिखित भाग में दी गई हैं:

कार्ययोजना में सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

- 1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बेहतर बनाना
- 2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
- 3. सतत कृषि
- 4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- 5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
- **६. सतत और उन्नत गतिशीलता**
- 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों का हिस्सा न बनते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों की एक सूची बनाई गई है जो भारत के कुछ हिस्सों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं और ग्राम पंचायत में भी दोहराई जा सकती हैं। हालांकि, इन प्रयासों को प्रदेश कि किसी योजनाओं या कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण इन प्रयासों के हेतु वित्त कि उपलब्धता समुदायों द्वारा अथवा सीएसआर व निजी स्रोतों के द्वारा की जा सकती है। इस कारण इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

²⁰ लागत का अनुमान नीचे दिए गए विभिन्न तरी कों के आधार पर लगाया गया है जैसे:

ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से इनपुट,

या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान,

या आवश्यक इनपुट की प्रति यूनिट अनुमानित लागत

या विभिन्न विभागों के दरों की अनुसूची।



1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बेहतर बनाना

संदर्भ एवं मुद्दे?

- ग्राम पंचायत में किए गए वृक्षारोपण में तालाबों और व्यक्तिगत कृषि भूमि के किनारे 4 एकड़ कृषि-वानिकी और सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण शामिल है। प्रमुख पेड़ सागौन, आम, अमरूद, महुआ, शीशम और ब्लैकबेरी हैं।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (एनएएम) और मनरेगा के तहत 15-20 साल पहले वृक्षारोपण गतिविधियां की गईं, जिनकी औसत जीवित रहने का दर 60% है।
- नेहिया खुर्द ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, इससे न केवल बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी अपितु छाया मिलेगी। हरित क्षेत्र बढ़ाने से ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अविध में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार होगा।



मौजूदा हरित आवरण में सुधार

चट्रण 2024-25 से 2026-27 2027-28 से 2029-30 2030-31 से 2034-35 1. वार्षिक समुदाय-आधारित 1. मौजूदा वृक्षारोपण का रख रखाव 1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखें वक्षारोपण गतिविधियाँ22: और बनाए रखें- बाल वन, खाद्य 2. बाल वन24 के निर्माण से » ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम²³ वन और अन्य वृक्षारोपण। वृक्षारोपण गतिविधियाँ बढीं। (5 छात्र चयनित) 2. 137 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के 3. किसानों को कृषि वानिकी » देशी फलों के पेड लगाकर लिए उपयुक्त भूमि का 100%) अपनाने के लिए प्रोत्साहन। खाद्य वन का निर्माण कृषि-वानिकी पहल के अंतर्गत 4. आरोग्य वन स्थापित। कवर किया जाए।

²¹ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक संसाधनों द्वारा इसकी पृष्टि की गई है

²² उपर्युक्त प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं

²³ स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से विद्यार्थी मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे दूसरे विद्यार्थियों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

²⁴ नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

 आरोग्य वन का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों²⁵, झाड़ियों और पौधों का रोपण आरोग्य वन का रखरखाव किया
गया और प्राकृतिक औषधियों
और पूरकों के उत्पादन के लिए
इकाइयाँ स्थापित की जाए।

- सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 1500 पौधे लगाए जाएंगे और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित की जाएगी।
 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 3,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से 5,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
- आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकित की जाए।
- ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 1500 से 2000 पौधे का रोपण 15-20 वर्षों में 3,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से 7,200 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की क्षमता है।
- 2. 55 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाई गई (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त)²⁶, 5500 पेड़ लगाए गए 20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 31,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से 49,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₃) है
- आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव
- प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता निर्माण

- अन्य 2000 से 2500 पौधों का रोपण
 15-20 वर्षों में 4,600 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से 8,900 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) ग्रहण करने की क्षमता
- 2. कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त शेष भूमि यानी 82 हेक्टेयर में कृषि वानिकी अपनाई गई और 8200 पेड़ लगाए गए। पृथक्करण क्षमता: सागौन वृक्षारोपण के लिए 20 वर्षों में 47,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से 73,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₃)
- आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी है।

अक्ष्य

²⁵ उपयुक्त पौधों के नाम संलग्नक VI में उल्लिखित हैं

²⁶ गेहूं, सरसों और सब्जियों की कृषि भूमि (137 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है

	लागत	
(티	
•	E	
	<u>က</u>	

वृक्षारोपण गतिविधियाँ ²⁷ : ₹ 18,00,000

- वृक्षारोपण गतिविधियाँ:
 ₹ 18,00,000 ₹ 24,00,000
- कृषि वानिकी गतिविधियाँ:
 ₹ 15,40,000
- वृक्षारोपण का रखरखाव:
 ₹ 1,80,000.

कुल लागत: ₹35,20,000 से ₹41,20,000

- वृक्षारोपण गतिविधियाँ:
 ₹ 24,00,000 ₹ 30,00,000
- कृषि वानिकी गतिविधियाँ:
 ₹ 24,64,000
- वृक्षारोपण का रखरखाव:
 ₹ 2,40,000

कुल लागत: ₹51,04,000 से ₹57,04,000



जन जैवविविधता रजिस्टर

चट्रण 2024-25 से 2026-27 2027-28 से 2029-30 2030-31 से 2034-35 जन जैवविविधता रजिस्टर को जन जैवविविधता रजिस्टर को जन जैवविविधता रजिस्टर को स्मार्ट संबंधी गतिविधियों अद्यतन करना जारी। अद्यतन करना जारी। अद्यतन करना। सुझाई गई जलवायु जागरूकता बढ़ाना। 2. जागरूकता बढ़ाना। 2. जागरूकता बढ़ाना। जैवविविधता प्रबंधन समिति पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (बीएमसी) का गठन और सहभागी अद्यतन जारी रहे। का सहभागी अद्यतन जारी रहे। क्षमता वृद्धि। 2. लोगों की जैव विविधता लक्ष्य रजिस्टर का सहभागी अद्यतन। जैवविविधता प्रबंधन (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण लागत28: ₹ 25,000

²⁷ जल क्षेत्र के सुझावों में उल्लिखित वृक्षारोपण को भी उपरोक्त कार्य बिंदुओं/सुझावों के माध्यम से कवर किया जाएगा। इसलिए, यहां अनुमानित लागत सभी वृक्षारोपण गतिविधियों को कवर करेगी और सभी सुझावों की लागत को जोड़ते समय दोहरी गणना से बचा जाना चाहिए।

²⁸ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। लिंक

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और यूपी राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को संरेखित और संचालित किया जा सकता है।
- यूपी राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य सीएएमपीए निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजिंटंग² के लिए निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैव विविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को श्रमदान प्रदान करने में भी शामिल किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी पर उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹ 28,000 का लाभ
 - » वृक्षारोपण के लिए सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स, लखनऊ का कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और राजस्व के स्वयं के स्रोत (ओएसआर) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए सीएसआर फंड का लाभ उठाया जा सकता है। कार्यान्वयन और निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचा और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किया जा सकता है जैसा कि "आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने" के सुझाव में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

²⁹ सीएएमपीए निधि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ाकर और वनों की गुणवत्ता में सुधार करके वन भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। (मार्च 2023)। पीआईबी



जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द मुख्य रूप से कृषि व घरेलू जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल और वर्षा जल पर निर्भर
 है। वर्ष 2018, 2021 और 2022 में जुलाई से मध्य अगस्त के महीने में लगातार सूखे की घटनाएं घटित हुईं। इस कारण, ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द में वाटरशेड प्रबंधन को बढाने की आवश्यकता है।
- नेहिया खुर्द में 4 तालाब हैं, जिनमें से अधिकांश को रख-रखाव की आवश्यक्ता है और वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं और उन्हें साफ करने और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। 2 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- नेहिया खुर्द में जलजमाव प्रमुख चिंता का विषय है, विशेषकर जुलाई से मध्य सितंबर के महीने में। जलजमाव के कारण ग्राम पंचायत में आवागमन, स्वास्थ्य, जल प्रदूषण और कृषि उत्पादकता³⁰ को प्रभावित करता है। जल निकासी बुनियादी ढांचे की असक्षमता के कारण यह समस्या और भी गंभीर हो गई है।
- भूजल पर निर्भरता और पिछले पांच वर्षों में सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

नेहिया खुर्द में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं।



틵

वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

2024-25 से 2026-27

न	
गतिविधियाँ	
यु स्मार्ट संबंधी	
गई जलवायु	
सुझाड्ड	

सरकारी/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) भवन, प्राथमिक विद्यालय और सामुदायिक हॉल में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना

- 2. भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्डे
- सभी नई भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना

Ш

2027-28 से 2029-30

- 1500 वर्ग फुट आकार के भूखंड से ऊपर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना।
- 2. चिह्नित जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक भूजल पुनर्भरण गड्ढों/खाइयों की खुदाई
- सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना

Ш

2030-31 से 2034-35

- 1. 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना।
- सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना

³⁰ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर

1.	सभी सरकारी भवनों में
	आरडब्ल्यूएच - भंडारण क्षमता
	10 m³ के रिचार्ज पिट की
	स्थापना ।

- 30 रिचार्ज पिट छोटी पुरवा 4, बड़ी पुरवा 20, मझली पुरवा - 6
- 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ 25 आरडब्ल्यूएच प्रणाली स्थापित की जाएगी । ग्राम पंचायत में बड़े घरों को पहले लक्षित किया जाएगा
- आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढे खोदना

10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच स्थापित करने के लिए 25 पक्के मकान ।

लक्ष्य

 आरडब्ल्यूएच - 3 इकाइयों के लिए ₹ 1,05,000

2. रिचार्ज पिट - ₹ 10,50,000

कुल लागत: ₹11,55,000

आरडब्ल्यूएच- 25 इकाइयों के लिए ₹ 8,75,000

कुल लागत: ₹8,75,000

आरडब्ल्यूएच- 25 इकाइयों के लिए ₹ 8,75,000

कुल लागत: ₹8,75,000



जल निकायों का कायाकल्प और संरक्षण

चटण	2024-25 से 2026-27	। 2027-28 से 2029-30	। । । 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 4 जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण 11 कुओं की सफाई एवं कायाकल्प मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता निर्माण और समुदाय के विभिन्न महत्वपूर्ण समूहों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जल उपयोग की कुशलता और जल संरक्षण में सुधार करने के लिए। 	 जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण सभी 4 जल निकायों और 13 कुओं का निरंतर रखरखाव समुदाय और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण 	सभी ४ जल निकायों और 13 कुओं का निरंतर रखरखाव

- जल निकायों की सफाई एवं गाद मुक्ति:
 - » झजवा पोखरा (1.38 हेक्टेयर),
 - » लम्बोहिया पाखे आरा (0.072 हेक्टेयर),
 - » छोटी पुरवा तालाब (0.105 हेक्टेयर)
- 2. 11 कुओं का कायाकल्प:
 - » छोटी पुरवा-3,
 - » बड़ी पुरवा-6,
 - » मझली पुरवा-2
- 3. ट्री गार्ड के साथ 1000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास)

जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1,000 पेड़ लगाए गए

ವಭ್

- कुओं और जल निकायों की सफाई: ₹ 30,00,000
- जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल किया गया

कुल लागत: ₹30,00,000

- जल निकायों और कुओं का रखरखाव: ₹ 20,00,000
- जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना' अनुभाग में शामिल किया गया

कुल लागत: ₹20,00,000

जल निकायों और कुओं का रखरखाव: ₹ 20,00,000

कुल लागत: ₹20,00,000



चटण

जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

ाई गई जलवाय टे संबंधी गतिविधियाँ

			111
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
1.	जलभराव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना	चरण । गतिविधियों का विस्तार	चरण । एवं ॥ गतिविधियों का विस्तार
2.	जल के निकास के लिए साइफन स्थापित करना		
3.	तूफानी जल और अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना		

- बनवा नाला के साथ-साथ ग्राम पंचायत में अन्य सभी नालों की सफाई (~3 किमी)³¹
- बनवा नाला और चन्नौई ताल से रेलवे ट्रैक तक के नाले पर साइफन लगवाएं
- वर्षा जल निकासी और अपशिष्ट जल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए यूपी जल निगम द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन
- ग्राम पंचायत में नालियों और साइफन का रखरखाव
- तूफानी जल और अपिशष्ट जल निकासी के बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- ग्राम पंचायत में नालियों और साइफन का रखरखाव
- तूफानी जल और अपशिष्ट जल निकासी बुनियादी ढांचे का रखरखाव

<u> अक्ष्य</u>

न्नुमानित लागत

- सफाई और गाद निकालना:
 ₹ 20,00,000
- साइफन की स्थापना:
 ₹ 23,00,000

कुल लागत: ₹43,00,000

- सफाई और गाद निकालना:
 ₹ 20,00,000
- जल निकासी बुनियादी ढांचे का उन्नयन: > ₹ 50,00,000

कुल लागत: ₹70,00,000

- सफाई और गाद निकालना:
 ₹ 20,00,000
- जल निकासी बुनियादी ढांचे का रखरखाव: ₹ 20,00,000

कुल लागत: ₹40,00,000

मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के माध्यम से उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेंड विकास घटक के अंतर्गत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेंड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

 कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकायों और कुओं के रख-रखाव में योगदान देने के लिए 'जल निकाय अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

³¹ स्थान के विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें



3. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे

- नेहिया खुर्द में कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग 150 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग 250 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में लगभग 41% परिवार आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं और 24% मजदूरी (गैर-कृषि) पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~117 हेक्टेयर), गेहूं (~113 हेक्टेयर), सरसों (~15 हेक्टेयर) और सिंज्यां (~8 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत ने 2018, 2021 और 2022 में जुलाई से मध्य अगस्त³² के दौरान तीन बार सूखे का अनुभव किया है। सूखे के कारण फसल बर्बाद हुई है, चारे की कमी हुई है और कृषि उत्पादकता प्रभावित हुई है।
- सूखे व बारिश में देरी के कारण धान की बुआई का समय जून से जुलाई में स्थानांतिरत हो गया है। गेहूं के मामले में, सर्दी³³ देर से आने के कारण बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर में स्थानांतिरत हो गया है।
- वर्ष 2018 से 2022 में अनियमित वर्षा, शीतलहर के साथ-साथ बीमारियों के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। लगभग 2,340 क्रिटल उपज (धान और सरसों) या लगभग ₹36.50 लाख का नुकसान हुआ है। (संबंधित वर्षों के प्रचलित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) द्वारा पृष्टि)। 2018 से 2022 के बीच में शीत लहर के कारण लगभग 360 बकरियों की मृत्यु हुई है।
- नेहिया खुर्द में किसान प्रति वर्ष ~83 टन यूरिया, डीएपी और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~102
 tCO₂e का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- कृषि³⁴ में सिंचाई हेतु जल की मांग में वृद्धि के कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल देना आवश्यक है।
- उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धितयों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

³² फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से मिली जानकारी के आधार पर

³³ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी दी गयी

³⁴ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी दी गयी



🔒 कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चटण

2024-25 से 2026-27

Ш

2030-31 से 2034-35

- ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना
- कृषि क्षेत्रों के चारों ओर वृक्षों से युक्त मेडबन्धी
- 3. खेत तालाबों का निर्माण
- 4. फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए चावल की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और सूखे सीधे बीज वाले चावल को अपनाना
- गेहूं की सूखा सिहष्णु किस्म को अपनाना
- किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना

- 1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार
- 2. मेडबन्धी का विस्तार
- 3. अधिक कृषि तालाबों का निर्माण

2027-28 से 2029-30

- सूखा सिहण्णु किस्म अपनाने की चरण। गतिविधियों का विस्तार
- बाजरा और फलियां जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों के साथ फसल चक्र और मिश्रित फसल
- 6. जागरूकता पैदा करने की पहल जारी रखें और किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना

- 1. सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार
- द्वितीय चरण की गतिविधियों का विस्तार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 11.7 हेक्टेयर (सरसों और सब्जियों के अंतर्गत 50% कृषि भूमि) में सूक्ष्म सिंचाई
- 75% (112.50 हेक्टेयर) कृषि क्षेत्रों के चारों ओर मेड़बन्धी
- 300 m³ क्षमता वाले 5 कृषि तालाब का निर्माण
- सूखा सिहष्णु किस्मों को अपनाने के बारे में तकनिकी ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण
- 11.77 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई (सरसों और सब्जियों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि)
- लगभग 150 हेक्टेयर (100%)
 कृषि क्षेत्रों के चारों ओर मेड़बन्धी
- 3. 10 कृषि तालाबों का निर्माण
- 4. सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती के बारे में ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण

मेड़बन्धी और कृषि तालाबों का रखरखाव

ವಿಭಿರ

- 1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹11,70,0000
- 2. मेडबंधी: ₹ 2,00,000
- 3. खेत तालाब: ₹ 4,50,000

कुल लागत: ₹18,20,000

- 1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹11,77,000
- 2. मेड़बन्धी: ₹ 1,00,000
- 3. खेत तालाब से : ₹ 15,00,000

कुल लागत: ₹27,77,000



प्राकृतिक खेती

चट्टवा

2024-25 से 2026-27

- प्राकृतिक उर्वरक (गतिविधि, 90% सब्सिडी), जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की ओर परिवर्तन।
 - » प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन
 - » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास
 - » प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया शुरू की गई
 - » बाजार संपर्की का पता लगाया जाएगा
- मिश्रित फसल, फसल चक्र, मिल्विंग, जीरो टिलेज जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

2027-28 से 2029-30

- कृषि भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित)
- चरण । में कार्यान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

Ш

2030-31 से 2034-35

कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का 100% विस्तार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

अक्ष्य

प्राकृतिक खेती

22.5 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि पर

56.25 हेक्टेयर पर प्राकृतिक खेती (40%) 112.50 हेक्टेयर पर प्राकृतिक खेती (100%)

अनुमानित लागत

कृषि भूमि का प्राकृतिक पद्धति में परिवर्तन की कुल लागत ~ ₹ 3,14,682 कृषि भूमि का प्राकृतिक पद्धति में परिवर्तन की कुल लागत ~ ₹ 7,86,705 कृषि भूमि का प्राकृतिक पद्धति में परिवर्तन की कुल लागत ~ ₹ 15,73,409

सतत पशुधन प्रबंधन

₹	
	Б
	₽
	न

सुझाई गई जलवाय् स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

ПП

2030-31 से 2034-35

- पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना
- 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ पैरा-पशु चिकित्सक/ पैरा वेट के रूप में प्रशिक्षित करना
- पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर कार्य करने हेतु अनुभाग "अतिरिक्त सुझावों" से संदर्भ लें

- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना
- आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार करना
- आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट के और अधिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना

- पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी पालन प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
- 2 पैरा-वेट्सॐ प्रशिक्षण का आयोजन
- रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन गतिविधियों जैसे विषयों पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना
- पशुधन के स्वास्थ्य लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन गतिविधियों जैसे विषयों पर अतिरिक्त कार्यशालाओं का आयोजन करना
- पशुधन के स्वास्थ्य लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अक्ष्य

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-वेट प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

³⁵ पंचायत की आवश्यकता के आधार पर समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), यूपी बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रथाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों और नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे कि पारंपिरक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और टिकाऊ खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि
 प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियोजन योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा वेट प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड

वित्त के अन्य स्रोत

- सेट-अप और संचालन ('स्वच्छ, टिकाऊ, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' भाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 » फसल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती में अंतिम परिवर्तन, सूखारोधी कृषि और स्थायी पशुधन प्रबंधन सहित जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अलावा, नेहिया खुर्द में टिकाऊ कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (युपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, संत कबीर नगर







सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से प्रति दिन लगभग 216 किलोग्राम कचरा उत्पन्न होता है36। इसमें से 125 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और 91 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है।
- सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचा नहीं है।
- कृषि और पशु अपशिष्ट भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाते हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 1,100 है (गाय, भैंस और बकरियों सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 7.3 टन प्रति दिन³⁷ है जिसे नेहिया खुर्द में खाद, वर्मीकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।

इस परिदृश्य में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना

_
7
. <u></u>
שוי
· F
ю
-
TO
H-
Ю
Ю
57 3

गुरुवा

	Α.	
2024-25	सं 2	026-27
		<u> </u>

- बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह और पृथक्करण के लिए गड्ढों का निर्माण (प्रत्येक 5 घरों के लिए 1)
- 2. गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए जीपी-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना

2027-28 से 2029-30

- 1. 88 गड्ढों का रखरखाव एवं नियमित सफाई; जनसंख्या और घरेलू वृद्धि के अनुसार वृद्धि
- 2. जीपी-स्तरीय अलगाव और भंडारण सुविधा का रखरखाव



2030-31 से 2034-35

- 1. 88 गड्ढों का रखरखाव एवं नियमित सफाई
- 2. ग्राम पंचायत स्तर पर रखरखाव
- 3. पृथक्करण और भंडारण स्विधा
- 4. प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक श्रेडर सुविधा को सक्षम करने के लिए प्लास्टिक श्रेडर सुविधा स्थापित करना

³⁶ अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

³⁷ अनुमान के लिए माना गया है कि गायें प्रति दिन 10 किलोग्राम गोबर करती हैं, भैंसें प्रति दिन 15 किलोग्राम गोबर करती हैं और बकरियां प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती

- 3. कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन और काम पर रखे गए कर्मचारी:
 - » घरों से लेकर जीपी स्तर की भंडारण सुविधा तक
 - » जीपी से ब्लॉक-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर सुविधा तक
- रणनीतिक स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण डिब्बे की स्थापना।
- 5. पंचायत, स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना।

- स्थापित मौजूदा कूड़ादानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना।
- 4. जीपी से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
- स्थापित मौजूदा कूड़ादानों का रखरखाव
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
- 7. ग्राम पंचायत-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर सुविधा स्थापित करना (ब्लॉक स्तर की सुविधा पर निर्भर नहीं)

- 88 संग्रहण एवं पृथक्करण गङ्ढों का निर्माण
- दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 ईवी और 11 कर्मचारियों को काम पर रखा गया।
- जीपी की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 438 घर (100%) शामिल हैं।
- 4. 20 कूड़ादानों की स्थापना:
 - » छोटी पुरवा-4
 - » बड़ी पुरवा 8
 - » मझली पुरवा-5
 - » पंचायत भवन 1
 - » विद्यालय 2

- अतिरिक्त 10 कूड़ादानों की स्थापना
- मौजूदा सुविधाओं और अपिशष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव।
- 1 ग्राम पंचायत -स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर इकाई।
- 2. मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव।

अक्ष्य

म्नुमानित लागत

- 88 पृथक्करण और संग्रह गड्ढे:
 ₹ 30,80,000
- पृथक्करण और भंडारण यार्ड:
 ₹ 6,00,000
- 3. 1 ईवी: ₹ 1,05,000
- 4. 11 कर्मचारी: ₹ 2,10,000
- 5. 20 कूड़ादान/कंटेनर: ₹ 40,000

कुल लागत: ₹40,35,000

- 1. 10 कूड़ादान/कंटेनर: ₹ 20,000
- 2. 11 कर्मचारी: ₹ 2,80,000

कुल लागत: ₹3,00,000

- 1 प्लास्टिक श्रेडर यूनिट:
 ₹ 50,000 ₹ 1,00,000
- 2. 11 कर्मचारी: ₹ 4,00,000

कुल लागत: ₹4,50,000 से ₹5,00,000



चटण

जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

-2024-25 से 2026-27

- नाडेप कम्पोस्ट पिट स्थापित करना
- 2. जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए उद्यम स्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)

2027-28 से 2029-30

वर्मीकम्पोस्टिंग एवं नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रख-रखाव

2030-31 से 2034-35

वर्मीकम्पोस्टिंग एवं एनएडीईपी (नाडेप) कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रख-रखाव

- 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों की स्थापना:
 - » छोटी पुरवा 5 इकाइयाँ
 - » बड़ी पुरवा 15 यूनिट
 - » मझली पुरवा-10 यूनिट
- घरेलू कचरे से उत्पन्न खाद/खाद (जैविक): 125 किग्रा प्रति दिन; प्रति माह 3,750 किग्रा
- 1. 100% बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट का उपचार किया गया
- खाद इकाइयों/गड्ढों का रखरखाव
- 1. 100% बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट का उपचार किया गया
- खाद इकाइयों/गड्ढों का रखरखाव

ವಭಿ



	🤣 एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध			
चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35	
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमः » ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) » छात्र एवं युवा समूह » समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान साझेदारी मॉडलः 'आजीविका को बढ़ाना और हरित उद्यमिता अनुभाग (सुझाव 2)' में विस्तार से बताया गया है। 	 जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखें ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिले तक साझेदारी को बढ़ाना 	 जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखें ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य गांवों/जिले तक साझेदारी को बढ़ाना 	
द्भय	 एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध 200-250 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाएगा (वर्तमान में सिलाई में लगी 325 महिलाओं में से) 	 एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखें उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग और कम हो जाएगा क्योंकि विकल्प आसानी से उपलब्ध होंगे 	 एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखें उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग और कम हो जाएगा क्योंकि विकल्प आसानी से उपलब्ध होंगे 	

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपिशृष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्ढों के निर्माण के लिए मनरेगा का इस्तेमाल किया जा सकता है; पृथक्करण और भंडारण शेड।
- स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत अवसंरचना के विकास और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को पहल द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सीएसआर फंडिंग और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरिशप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, सेग्रेगेशनयार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन (मार्केटिंग), अपिशष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे अवसंरचना को विकसित और संचालित करने में सहायता कर सकते हैं।
- इसके अलावा, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत खपत व्यवहार को बढ़ावा देना में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए बंधा हुआ और संयुक्त अनुदान सहित जीपी के स्वयं के संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड













5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द ने 2022-23 में लगभग 3,12,000 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है। बिजली की आपूर्ति, जैसा कि समुदाय के सदस्यों से पता चला है, 24*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन औसतन ~6 घंटे बिजली की कटौती होती है³⁸।
- बिजली कटौती के कारण, सिंचाई के लिए ग्राम पंचायत में 90 डीजल पंप का उपयोग किया जाता है³⁹ और वे सालाना लगभग ~ 35 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- कई घरों और सार्वजिनक आवश्यकताओं में सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) बल्ब और कम दक्षता वाले अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 200 सौर स्ट्रीट लाइट (18 हाई मास्ट लाइट और 182 एलईडी स्ट्रीट लाइट) की आवश्यकता के बारे में बताया है⁴।
- ग्राम पंचायत में 100% परिवार खाना पकाने के लिए एलपीजी (रसोई गैस) का उपयोग करते हैं। जबिक लगभग 100 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है⁴। इसिलए, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में तापमान से राहत का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता बढ़ गई है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में आरम्भ किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य संयुक्त रूप से तथा, नेहिया खुर्द में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

³⁸ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा जानकारी दी गयी है

³⁹ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान जानकारी दी गयी है

⁴⁰ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

⁴¹ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है



सोलररूफ टॉप की संस्थापना (कुल क्षमता = 1.3 MW शामिल रूफटॉप= 17,932 वर्ग मीटर)

चटण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक: प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन (पहले से ही प्रगति पर)

2027-28 से 2029-30

- 167 (40%) पक्के घरों⁴² के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप
- 2. सभी नए निर्माणों को सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जा सकता है।

Ш

2030-31 से 2034-35

- शेष 250 घरों के लिए सोलर रूफ फोटोवोल्टिक सेट-अप (मौजूदा पक्के घरों का 100%)
- सभी नए निर्माणों को सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जा सकता है।

सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित:

- प्राथमिक विद्यालय भवन (~185.6 वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्र): 11 kWp
- » पंचायत भवन (~232 वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्र): 16 kWp सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित: 27 kWp उत्पन्न की गई बिजली : लगभग 45,086 kWp प्रति वर्ष (124 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया: प्रति वर्ष लगभग 37 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई (tCO₂e)

प्रति घर स्थापित सोलररूफटॉप क्षमता (~42 वर्ग मीटर रूफटॉप क्षेत्र): 2-4 kWp स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता (~7014 वर्ग मीटर): 501 kWp उत्पन्न की गई बिजली : लगभग 6,70,940 kWp⁴³ (प्रति दिन 1,838 यूनिट बिजली) जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया: प्रति वर्ष लगभग 550 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई (tCO₂e)⁴⁴

- अतिरिक्त स्थापित सौर क्षमता (~10,500 वर्ग मीटर रूफटॉपक्षेत्र): 750 kWp
- 2. चरण III के अंत तक स्थापित कुल सोलर रूफ क्षमता: 1,278 kWp (घर + स्कूल + पंचायत भवन) सभी छतों से उत्पन्न कुल बिजली : 17,20,426 kWp⁴⁵ (प्रति दिन 4,714 यूनिट बिजली) कुल जीएचजीउत्सर्जन से बचा गया: लगभग 1,410 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई (tCO₂e) प्रतिवर्ष (घर + स्कूल + पंचायत भवन)

<u> ३</u>इत

⁴² घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; 3 kWp रूफ़टॉप प्रति घर अनुमानित है

⁴³ यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली की खपत से दो गुना अधिक है

⁴⁴ उत्सर्जन से बचने से पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

⁴⁵ यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली की खपत से छह गुना अधिक है

चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	। । । 2030-31 से 2034-35
अनुमानित लागत	₹ 13,50,000 (₹ 50,000/ kWp)	₹ 2,50,50,000 (₹ 50,000/ kWp) सांकेतिक सब्सिडी ⁴⁶ : ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹ 1,50,30,000	₹ 3,75,00,000 (₹ 50,000 / kWp) सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य +सीएफए) प्रभावी लागत ⁴⁷ : ₹ 2,25,00,000



🎨 कृषि -फोटोवोल्टिक (कुल क्षमता = 2 MW)

चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	। । । 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ		बागवानी और फलियां फसलों (आलू, राजमा, मसूर, पालक और टमाटर) के अंतर्गत 25% क्षेत्र पर एग्रो -फोटोवोल्टिक स्थापित	50% बागवानी और फलियां फसलों (आलू, राजमा, मसूर, पालक और टमाटर) पर एग्रो -फोटोवोल्टिक स्थापित
लक्ष्य		2 हेक्टेयर पर एग्रो -फोटोवोल्टिक स्थापित (25% भूमि फलियां और सब्जियों के अंतर्गत) स्थापित क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पन्न: 6,70,000 kWp प्रति वर्ष (1,835 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया: प्रति वर्ष 549 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई (tCO ₂ e) उत्सर्जन	2 हेक्टेयर पर एग्रो -फोटोवोल्टिक स्थापित (संचयी 50% भूमि फलियों और सब्जियों के अंतर्गत) स्थापित क्षमता: 500 kWp कुल स्थापित कृषि -फोटोवोल्टिक क्षमता: 1,000 kWp कुल बिजली उत्पन्न: 13,40,000 kWp प्रति वर्ष (3,671 यूनिट प्रति दिन) कुल जीएचजी उत्सर्जन से बचा गया: प्रति वर्ष 1,098 टन कार्बन डाइऑक्साइड ई (tCO ₂ e) उत्सर्जन
अनुमानित लागत		कुल लागत ⁴⁸ : ₹ 5,00,00,000 (₹ 1 लाख/kWp मानकर)	कुल लागत: ₹ 5,00,00,000 (₹ 1 लाख/ kWp मानकर)

⁴⁶ सब्सिडी परिवर्तनशील है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है। इसलिए अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और संभव है की यह राशी मौजूदा समय में सटीक न हो।

^{47 250} घरों के लिए

⁴⁸ जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी/तकनीक आगे बढ़ रही है, कृषि पीवी की लागत कम होती जा रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों के लिए भी फसल चक्र अपनाते हैं।



चटण

👺 सौर पंप (कुल क्षमता = 510 kWp)

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 to 2026-27

- 1 सौर पंपों के साथ स्थापित मौजूदा डीजल 18 (20%) पंपसेटों को बदलना*)
- 2. यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कार्यक्षम पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।

2027-28 to 2029-30

- 1. मौजूदा डीजल पंपों में से 27 (संचयी 50%) और 1 ग्रिड से जुडे विद्युत पंप का सौर्यीकरण
- 2. स्थापित किए गए सभी नए पंप सौर ऊर्जा से संचालित हो सकते

2030-31 to 2034-35

- शेष 45 डीजल पंपों को बदलना (१००% कवरेज)
- 2. स्थापित किए गए सभी नए पंप सौर ऊर्जा से संचालित हो सकते हैं।

स्थापित क्षमता: 100 kWp

- » सौर ऊर्जा आधारित उत्पन्न बिजली : 1,33,920 kWp प्रति वर्ष
- » डीजल की खपत से बचा गया: 7,020 लीटर/वर्ष
- » उत्सर्जन से बचाव: प्रति वर्ष 19 tCO,e उत्सर्जन

कुल स्थापित क्षमता: 150 kWp

- » सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पन्न: प्रतिवर्ष 2.02.219 kWp
- » डीजल की खपत से बचा गया: 10,530 लीटर/वर्ष
- » उत्सर्जन से बचाव: प्रति वर्ष 28 tCO,e उत्सर्जन

कुल स्थापित क्षमता: 250 kWp

- » सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पन्न: प्रति वर्ष ३,३७,४७८ kWp
- » डीजल की खपत से बचाव: 17,550 लीटर/वर्ष
- » उत्सर्जन से बचाव: प्रति वर्ष 47 tCO,e उत्सर्जन

अक्ष्य

₹ 54,00,000 से ₹ 90,00,000 (₹ 3,00,000 से ₹ 5,00,000/ 7.5 एचपी सोलर पंप)

- » सब्सिडी: 60% (राज्य+केंद्रीय वित्तीय सहायता)
- » प्रभावी लागत: ₹ 21,60,000 से ₹ 36,00,000

₹ 84,00,000 से ₹ 1,40,00,000 (₹ 3,00,000 से ₹ 5,00,000/ 7.5 एचपी सोलर पंप)

- » सब्सिडी: 60% (राज्य +सीएफए)
- » प्रभावी लागत: ₹ 33,60,000 से ₹ 56,00,000

₹ 1,35,00,000 से ₹ 2,25,00,000 (₹ 3,00,000 से ₹ 5,00,000/ 7.5 एचपी सोलर पंप)

- » सब्सिडी: 60% (राज्य +सीएफए)
- » प्रभावी लागत: ₹ 54,00,000 से ₹ 90,00,000

अनुमानित लागत



रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग

ь	
Ы	
디	

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

- -2027-28 से 2029-30

Ш

2030-31 से 2034-35

- परिदृश्य 1: घरों में बायोगैस + एलपीजी
- परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी
- परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी
- 1. परिदृश्य 1: घरों में बायोगैस + एलपीजी
- परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी
- परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चुल्हे + एलपीजी
- परिदृश्य 1: घरों में बायोगैस + एलपीजी
- परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी
- परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चुल्हे + एलपीजी

- पिरदृश्य 1: 12 घरों में बायोगैस संयंत्रों का इस्तेमाल (25% घरों में 6 से 7 मवेशी हैं) + 426 घरों में एलपीजी का इस्तेमाल
- परिदृश्य 2: 17 घरों में सौर-संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का इस्तेमाल (उच्च आय वर्ग में घरों में का 25%) + एलपीजी का इस्तेमाल
- 3. परिदृश्य 3: 17 घरों में सौर-संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का इस्तेमालकरें (उच्च आय वर्ग में घरों में का 25%) + 50 घरों में उन्नत चूल्हों का इस्तेमाल (घरों में का 50% जो वर्तमान में बायोमास का इस्तेमाल करते हैं) + एलपीजी का इस्तेमाल
- परिदृश्य 1: अतिरिक्त 13 घरों में बायोगैस संयंत्रों का इस्तेमाल करते हैं (50% घरों में 6 से 7 मवेशी हैं) + 413 घरों में एलपीजी का इस्तेमाल
- 2. परिदृश्य 2: अतिरिक्त 17 घरों में सौर-संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का इस्तेमाल (उच्च आय वर्ग में घरों में का 50%) + एलपीजी का इस्तेमाल
- परिदृश्य 3: अतिरिक्त 17 घरों में सौर-संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का इस्तेमाल (शीर्ष आय समूहों में घरों में का 25%) + अतिरिक्त 50 घरों में उन्नत चूल्हों का इस्तेमाल (घरों में का 100% जो वर्तमान में बायोमास का इस्तेमाल) + एलपीजी का इस्तेमाल

- परिदृश्य 1: अतिरिक्त 25 घरों में बायोगैस संयंत्रों का इस्तेमाल (100% घरों में 6 से 7 मवेशी हैं) + 388 घरों में एलपीजी का इस्तेमाल
- परिदृश्य 2: अतिरिक्त 34 घरों में सौर-संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का इस्तेमाल (शीर्ष आय समूहों में घरों में का 100%) + एलपीजी का इस्तेमाल
- परिदृश्य 3: अतिरिक्त 34 घरों में सौर-संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का इस्तेमाल (शीर्ष आय समूहों में घरों में का 100%) + 100 घरों में पहले से ही बेहतर चूल्हों का इस्तेमाल (जैसा कि चरण ॥ में) + एलपीजी का इस्तेमाल

अध्य

- 1. परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 6,00,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)
- 2. परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 7,65,000 (बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹ 45,000)
- 3. परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शन कुकस्टोव + ₹ 1,50,000 (₹ 3,000 की दर से बेहतर चूल्हे) के लिए ₹ 11,05,000 = ₹ 7,65,000 + ₹ 3,40,000

पूरे परिदृश्य में औसत लागत: ₹8,23,333

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 6,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)
- 2. परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 7,65,000 (बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹ 45,000)
- 3. परिदृश्य 3: ₹ 11,05,000 = ₹ 7,65,000 + सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 3,40,000 + ₹ 1,50,000 बेहतर चूल्हे @ ₹ 3,000)

पूरे परिदृश्य में औसत लागत: ₹8,40,000

- परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 12,50,000 (2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र के लिए ₹ 50,000)
- 2. परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 15,30,000 (बैटरी के बिना डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव के लिए ₹ 45,000)
- 3. परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹ 15,30,000

पूरे परिदृश्य में औसत लागत: ₹14,36,666

ऊर्जा दक्षता

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

- सभी सरकारी भवनों (स्कूल, पंचायत भवन, आंगनवाडी, आशा केंद्र, विवाह हॉल) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाएगा।
- 2. सभी घरों में कम से कम 1 इनकैंडेसेंट/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदला जाएगा या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाएगा।
- 3. बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2027-28 से 2029-30

- घरों में सभी इनकैंडीसेंट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला जाएगा और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाएगा।
- 2. कम से कम 1 पारंपरिक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना चाहिए
- 3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों, ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा ४-५ स्टार रेटिंग) को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।



2030-31 से 2034-35

सभी घरों में सभी पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाएगा

1.	सभी सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक
	भवनों में सभी ट्यूबलाइट और
	पंखे बदले जाएंगे।

- 438 एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट स्थापित (प्रति घर 1 ऊर्जा कुशल बल्ब और/या ट्यूब लाइट स्थापित)।
- प्रत्येक घरो में 1,314 एलईडी बल्ब और/या ट्यूब लाइटें स्थापित (प्रति घर 3 बल्ब/ट्यूब लाइटें स्थापित)
- प्रत्येक घरों में 438 ऊर्जा कुशल पंखे स्थापित (प्रति घर 1 पंखा स्थापित)
- प्रत्येक घरों में 1,314 एलईडी बल्ब और/या ट्यूब लाइटें स्थापित।
- 2. सभी घरों में 876 ऊर्जा कुशल पंखे स्थापित (प्रत्येक घर में 2 पंखे स्थापित)

लक्ष्य

अनुमानित लागत

एलईडी बल्ब की कीमत:
 ₹ 30,660

- एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत:
 ₹ 96,360
- ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
 ₹ 1100 प्रति पंखा

कुल लागत: ₹1,27,020

- एलईडी बल्ब की कीमत:
 ₹ 91,980
- एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत:
 ₹ 2,89,080
- ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
 ₹ 4,86,180

कुल लागत: ₹8,67,240

- एलईडी बल्ब की कीमत:
 ₹ 91,980
- एलईडी ट्यूबलाइट की कीमत: ₹ 2,89,080
- ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
 ₹ 9,72,360

कुल लागत: ₹13,53,420



सौर स्ट्रीट लाइट

चरण



2024-25 से 2026-27

सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 100 एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना।49



2027-28 से 2029-30

आंतरिक मार्गों और अन्य प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त 100 एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना।



2030-31 से 2034-35

आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव एवं संयोजन जारी रखना

मुझाई गई जलवायु सार्ट संबंधी गतिविधिर

⁴⁹ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ हुई चर्चा के आधार पर

1.	प्रमुख स्थानों (प्राथमिक
	विद्यालय, पंचायत भवन, खेल
	का मैदान, उद्यान, जल निकाय)
	पर 8 हाई-मास्ट सौर एलईडी
	स्टीट लाइट संस्थापित करना

- 2. 3 किमी (50%) सड़कों और रास्तों पर 92 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट संस्थापित करना
- आरोग्य वन, बाल वन, जल निकायों जैसे अन्य चिन्हित प्रमुख स्थानों पर 10 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना।
- शेष ३ किमी (50%) सड़कों और रास्तों पर 90 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना
- 3. मौजूदा एलईडी स्ट्रीट लाइट को सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलें, जिससे सोलर स्ट्रीट लाइट का 100% कवरेज प्राप्त होगा

मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव

अक्ष्य

अनुमानित लागत

- हाई-मास्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए ₹ 4,00,000,
- सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए ₹ 9,20,000

कुल लागत: ₹13,20,000

- हाई-मास्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए ₹ 5,00,000
- सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए ₹ 10,00,000

कुल लागत: ₹15,00,000

आवश्यकता के अनुसार

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁰ में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
 - » आवासीय क्षेत्र में सौर स्थापना पर सब्सिडी:एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा प्रति उपभोक्ता ₹ 15,000/kWp से अधिकतम सीमा ₹ 30,000/- तक का प्रावधान है।
 - » संस्थानों में रेस्को⁵¹ मोड में स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से संयंत्र की लागत का 3 प्रतिशत परामर्श शुल्क के साथ सौर स्थापना का प्रावधान है।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 kWp क्षमता तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। 3 kWp से अधिक और 10 kWp तक की क्षमता वाले आरटीएस सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी केवल पहले 3 kWp क्षमता के लिए लागू होगी और 3 kWp से ऊपर (10 kWp तक) की क्षमता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता 20 प्रतिशत तक सीमित होगी
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता 20 प्रतिशत तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता पात्र क्षमता प्रति घर 10 kWpपी तक सीमित होगी और कुल 500 kWp से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सौर छत की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁵² के माध्यम से की जा सकती है। इस योजना में 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% अनुदान और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के प्रणाली हेतु 40% का अनुदान

⁵⁰ https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf

⁵¹ तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

⁵² मुफ्त बिजली योजना:https://pmsuryaghar.gov.in/

प्रदान करती है। अनुदान को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क मूल्यों पर, यह योजना 1 किलोवाट प्रणाली के लिए रुपये 30,000 अनुदान, 2 किलोवाट प्रणालियों के लिए रुपये 60,000 और 3 किलोवॉट प्रणालियों या उच्चतर के लिए रुपये 78,000 का अनुदान होगा।

- पीएम कुसुम योजना में निम्न प्रावधान किया गया है :
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक क, कृषि भूमि पर 500 kWp और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के संघटक ख और ग के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें प्रति पंप आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किश्तों में बैंक को किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत: एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सौरीकरण ₹ 50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान किया जाता है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁵³
 - » ईईएसएल अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देता है और सात साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वॉट एलईडी और तीन दिन के बैटरी बैकअप के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी का प्रावधान करता है।
- ग्राम उजाला योजना⁵⁴
 - » एलईडी बल्ब ₹ 10 प्रति बल्ब की किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध हैं।
 - » चालू इनकैंडीसेंट बल्बों के बदले 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता दो योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को लागू कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक संपूर्ण आपूर्ति के साथ अवसंरचना की सुविधा के निर्माण के लिए 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है और गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए श्रृंखला प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन⁵⁵ अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमित देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुिंकंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है।

⁵³ ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

⁵⁴ ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी।

⁵⁵ अर्थात. फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिकबायो -एग्रोरिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से कोष का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों⁵ की स्थापना के लिए वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अविध के लिए प्रति जिले ₹ 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁵⁷ में गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अलावा संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है:
 - » सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹ 75 लाख प्रति टन से लेकर अधिकतम ₹ 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टाम्प ड्यूटी एवं विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपिशृष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹ 0.25 करोड प्रति 12000 मीटर³/दिनॐ है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि -फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अलावा सौर छतों/ कृषि -फोटोवोल्टिक्स/सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को शामिल करने के लिए।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' प्रशिक्षण प्रदान करें।
 - » रूफटॉप पर सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियानों का आयोजन।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

⁵⁶ https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926

⁵⁷ https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/

⁵⁸ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067







6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ एवं मुद्दे

- नेहिया खुर्द में कुल 262 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 225 दोपहिया वाहन, 15 ट्रैक्टर, 12 कारें, 6 ट्रक, 3 जीप और 1 ऑटो-रिक्शा⁵⁹।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 5 ई-रिक्शा हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~139 किलोलीटर डीजल और ~36 किलोलीटर पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र ईंधन की खपत के कारण ~302 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है⁶⁰।
- ग्राम पंचायत में सड़कों की खराब स्थिति के कारण जलभराव की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है
- ऐसी परिस्थिति में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और बिजली से चलने वाले वाहनों (ई-मोबिलिटी) जैसे समाधानों को अपनाने की पहल की महत्वपूर्ण गुंजाइश है।

X

मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे बेहतर करना

ħ	รั
नुझाई गई जलवायु	मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

틵

2024-25 से 2026-27

. सड़क उन्नयन कार्य और सीसी/ इंटरलॉकिंग

2. सड़क का आरसीसी कार्य

2027-28 से 2029-30

आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत जारी रखें

Ш

2030-31 से 2034-35

आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत जारी रखें

⁵⁹ फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

⁶⁰ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

⁶¹ यह सुझाव ग्राम पंचायत में जल जमाव की समस्या का समाधान करने में भी मदद करती है जिसका विवरण 'जल निकायों के प्रबंधन और पुनर्जागरण' अनुभाग में दिया गया है।

ਲਵਧ	3.5 किमी की कुल सड़क लंबाई ^{62,} ⁶³ के लिए सड़क की ऊंचाई 2 फीट करना और सीसी/ इंटरलॉकिंग सड़क की कुल लंबाई 2.5 किमी के लिए आरसीसी कार्य	सड़क एवं बुनियादी ढांचे का रखरखाव	सड़क एवं बुनियादी ढांचे का रखरखाव
अनुमानित लागत	सड़क की उन्नयन: ₹ 2,60,00,000 सड़क का आरसीसी कार्य ^{64, 65} : ₹ 1,75,00,000 त लागत: ₹4,35,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

📦 ई-ऑटोरिक्सा६६ (अंतिम मील कनेक्टिविटी) के माध्यम से मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना

चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	। । । 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु	अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार	अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के	मांग के आधार पर और अधिक
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	के लिए ई-ऑटोरिक्शा की शुरुआत	लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा	ई-ऑटोरिक्शा जोड़ना
लक्ष्य	ग्राम पंचायत में मौजूदा ऑटो-रिक्शा	जीपी के आईपीटी बेड़े में 10 और	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त
	को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	ई-ऑटोरिक्शा जोड़ना	ई-ऑटोरिक्शा जोड़ना

⁶² एचआरवीसीए में अनुमानित समय 2.5 महीने

⁶³ राष्ट्रीय राजमार्ग से लक्ष्मीपुर निचौरा पुलिया (2.5 किमी), मझली पुरवा से बड़ी पुरवा (1 किमी)

⁶⁴ मझली पुरवा से बड़ी पुरवा (1 किमी), छेदी चौरसिया के खेत से प्राइमरी स्कूल (500 मीटर), सतीश श्रीवास्तव के खेत से लालमणि चौरसिया के घर (400 मीटर), रामिकशन चौरसिया के घर से प्रह्लाद यादव के घर (950 मीटर), विपतराम के घर से सिदनाथ के खेत तक, पक्की सड़क (250 मीटर), जगन्नाथ के खेत से चुननारी प्रसाद के घर तक (400 मीटर)

⁶⁵ एचआरवीसीए में अनुमानित समय 5.5 महीने

⁶⁶ अधिक विवरण 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' भाग में है।

	<u> </u>	
	3	
	F	
Ч	=	
	<u>F</u>	מ
	<u>영</u>	•

एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत67: लगभग ₹3,00,000

- » उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक
- » 1 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹2,88,000

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन से बचाव (1 डीजल ऑटो को बदलने के लिए): : 1.8 tCO₂e68 प्रति वर्ष

एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत: लगभग ₹3,00,000

- » उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12.000 तक
- » 10 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹28,80,000

आवश्यकता के अनुसार



इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन किराए पर लेने और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा®

चट्रण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

- डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के विद्युत विकल्पों को बढावा देना
- 2. आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/ उद्यमियों) की संवेदनशील बनाना
- 3. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराये पर लेने की सुविधा स्थापित करना

2027-28 से 2029-30

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना



2030-31 से 2034-35

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना

अक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदना

आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर खरीदना

⁶⁷ ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹ 1,50,000 - ₹ 4,00,000 और अधिक तक होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी प्रकार और अन्य पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी

⁶⁸ समुदाय से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रति ऑटो GHG उत्सर्जन 1.8 tCO.e अनुमानित है। डीजल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा के उपयोग से यह उत्सर्जन कम हो जाएगा और पंचायत को कार्बन न्यूट्ल या यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनने में योगदान मिलेगा।

⁶⁹ अधिक विवरण आजीविका और हरित उद्यमिता बढाने वाले अनुभाग में है।

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के समर्थन से सड़क के अवसंरचना की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है
 - » यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान किया गया है कि
 - » खरीदारों को 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
- 1 वर्ष की अविध में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁷⁰ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी- ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का @10 प्रतिशत; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹ 5000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का @15 प्रतिशत; 3-व्हीलर ईवी: ₹ 12000 प्रति वाहन तक पूर्व-फैक्टरी लागत का @15 प्रतिशत
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण ॥ (फैम-इंडिया योजना चरण ॥) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्त्रोत

- जीपी का संसाधन एन्वेल्प और स्वयं के आय के स्रोत (ओएसआर)
- सीएसआर की सहायता के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग

⁷⁰ सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है और यह बदलाव सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों परिप्रेक्ष्य में होता है। इस कारण योजना के किसी भी अनुभाग में उल्लेखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है और सामान की खरीद के समय इसकी पृष्टि की जानी आवश्यक है।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

नेहिया खुर्द की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। लगभग 250 परिवार (41 प्रतिशत) आय के लिए खेती पर निर्भर हैं, जो भूमि-मालिक, कृषि भूमि किराए पर लेने या कृषि श्रमिकों जैसे विभिन्न रूपों में लगे हुए हैं। विशेष रूप से बदलती जलवायु और वर्तमान अस्थिर कृषि पद्धितयों के कारण कृषि क्षेत्र आजीविका संबंधी असुरक्षाओं से भरा हुआ है। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। जीपी में आय के अन्य स्रोत गैर-कृषि मजदूरी-श्रम, लघु-स्तरीय कुटीर उद्योग, पशुपालन, सेवा क्षेत्र की नौकरियां जैसे शिक्षण, बैंकिंग आदि और दुकानें जैसे छोटे व्यवसाय हैं। पिछले पांच वर्षों में लगभग 25 परिवार बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से बाहर चले गए हैंग।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में बताई गई सिफारिशें आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:



प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री

करना (बैग, गृह सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि)

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधिय

- 1. प्लास्टिक-वैकल्पिक सामग्रियों से उत्पादों के विनिर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल
- 2. इसके लिए क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » जीपी के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

प्रारंभिक स्तर पर शामिलः

- 100 महिलाएं
- 8 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (वर्तमान में टैलोरेड गतिविधियों में शामिल)

इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से दीर्घकालिक स्तर पर शामिल होना:

- अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

ವಜಿದ

⁷¹ क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान संकेतित अनुसार



जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
- 2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता निर्माण
 - » कम्पोस्टिंग एवं वर्मी -कम्पोस्टिंग तकनीकें
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

1. तत्काल लक्ष्य:

» घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न कम्पोस्ट/ वर्मी-कम्पोस्ट: 125 किलोग्राम प्रति दिन; 3,750 किलोग्राम प्रति माह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

2. दीर्घकालिक लक्ष्य:

» जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/ वर्मी -कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

लक्ष्य

मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- ॥ के इस्तेमाल के माध्यम से अंतिम-मील कनेक्टिविटी सूनिश्चित करने के लिए ई-रिक्शा के कवरेज का विस्तार
- 2. ई-रिक्शा की व्यावसायिक किराये (किराये के आधार पर) युवाओं के लिए हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है

1. तत्काल लक्ष्य

» 10 ई-रिक्शा (अनुमानित लागत: प्रति ई-रिक्शा ₹ 1-2 लाख)

2. मध्यावधि लक्ष्य

» अतिरिक्त 10 ई-रिक्शा

अक्ष्य



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की वाणिज्यिक भर्ती (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- ॥ के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमशीलता के अवसर प्रस्तुत करती है।
- 2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के इस्तेमाल के प्रति इस्तेमाल कर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना।

तत्काल लक्ष्य:

- 1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर ₹ 6 लाख)
- 2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹ 9.2 लाख)

मध्य- अवधि लक्ष्य:

1. 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना जाता है कि नेहिया खुर्द में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत लगभग ₹ 6 लाख होती है)

लक्ष्य

सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के इस्तेमाल के माध्यम से आजीविका में सुधार

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
- 2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध संबंधी उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी सिमतियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस मॉडल

- 5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जी की खेती के अंतर्गत ~7.62 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र)
- 2. लागत: लगभग ₹ 8 से ₹ 15 लाख

* चूंकि जीपी में सब्जी और दूध का उत्पादन सीमित है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा क्षमता नेहिया खुर्द के आसपास के गांवों को सुविधाजनक बनाने पर विचार किया जा सकता है।



👰 प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ सुझाई गई जलवायु

- प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समृदायों के लिए आजीविका सुजन
- 2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय एवं स्गंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

अक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाएगा



नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव

सझाई गई जलवायु

- 1. सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के रखरखाव में कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- 2. सीएसआर तथा केंद्र और राज्य सरकार की कौशल उन्नयन योजनाएं से सहायता जीपी के भीतर सौर और बायोगैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में सहायता कर सकतीं हैं।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से):
- सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का बढ़ावा दे सकती हैं।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले आवश्यक कौशल विकास।



विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं। इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह ससंस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावनाहो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधियाये "आजीविका और उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण72,73,74:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढावा देना चाहिए:

- घरो में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरो में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरो में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरो में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपिरक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाईट आदि को कम करना)।
- घरो में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरो में जल निकाय और डिज़ाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

⁷² https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

⁷³ https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521

⁷⁴ https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷⁵ का थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़िकयों के लिए निर्माण किया गया हैं: जिसमे प्रमुख रूप से निम्लिखित उपायो का उपयोग किया गया हैं :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छत्तो पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत्त का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करतीं हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकतीं हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया हैं।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ्⁷⁶ :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता हैं।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत्त (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जररूत को पूरा किया जाता हैं (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर) ।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियॉस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र77:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियॉस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया ।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता सिमिति को सक्षम बनाया गया ।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

⁷⁵ https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects

⁷⁶ https://peda.gov.in/solar-passive-complex

⁷⁷ https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलो लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जररूत को पूरा करता हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की ज़रुरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्त्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपिशष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{78,79}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरिक्षत करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते है

निर्मल गुजरात अभियान®

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)^{81"} के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

⁷⁸ https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system

⁷⁹ https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf

⁸⁰ https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/

⁸¹ https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspscc

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर82

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया ।
- पारंपिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 5°C कम पाया गया ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)¹²-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ़ीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन सम्पूरको के उपयोग से आंत्रीय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸³ ।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में 🛚

- ऊर्ध्वाधरचारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

⁸² https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities

⁸³ भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार (https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D)

⁸⁴ https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना ।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुद्रिड बनाएगी।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना⁸⁵

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी ।
- इस गितविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी ख़रीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ्फिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य खच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले®

स्वयं शिशान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

⁸⁵ https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/

 $^{86 \}quad https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-results/rural-change/women-for-$

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सिहष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)87

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है ।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में88

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है ।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

⁸⁷ https://alliancebioversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india

⁸⁸ https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf

अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

हरित स्थानों और जैव विविधता को बेहतर बनाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया®			
क. मौजूदा हरित आवरण में सुधार	 जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफर सूक्ष्म जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ 	एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय			
ख. जन जैवविविधता रजिस्टर	 बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)। पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही • लक्ष्य 13.1 • लक्ष्य 13.2 • लक्ष्य 13.3 एसडीजी 15: भूमि पर जीवन • लक्ष्य 15.1 • लक्ष्य 15.2 • लक्ष्य 15.3 • लक्ष्य 15.5 • लक्ष्य 15.9			

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)



ख. जल निकायों का कायाकल्प और संरक्षण



ग. जल निकासी बुनियादी ढांचे को बढाना



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- प्रकृति-आधारित समाधान
 (एनबीएस) पानी की कमी और
 पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है
- बेहतर भूजल पुनर्भरण
- पानी की गुणवत्ता में वृद्धि
- सूखा, लू आदि जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ा।
- कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार
- स्थानीय जैव विविधता को बढ़ावा


एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी ६: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.1
- लक्ष्य 6.4
- लक्ष्य 6.5

एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय

• लक्ष्य 11.4



• लक्ष्य 12.2

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन

- लक्ष्य 15.1
- लक्ष्य 15.5











सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन



ख. प्राकृतिक खेती



ग. सतत पशुधन प्रबंधन



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- सूखे, गर्मी के प्रभाव, कीटों आदि से फसलों की प्रतिरोधक क्षमता¹⁰ बढ़ाने के लिए इको-डीआरआर दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा
- कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार
- रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ
- शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई
- वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 2: शून्य भूख

- लक्ष्य 2.3
- लक्ष्य 2.4
- लक्ष्य २.ए ; अनुच्छेद १०.३.ई

एसडीजी ६: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.4
- लक्ष्य 13.1

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3







⁹⁰ पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना



ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन



ग. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- जलभराव कम हुआ
- जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ स्वच्छता में सुधार
- 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण
- आजीविका और आय सृजन
- राजस्व और लाभ सृजन
- सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली

- लक्ष्य 3.3
- लक्ष्य 3.9

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.3
- लक्ष्य 6.8

एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास

• लक्ष्य 8.3

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा

• लक्ष्य 9.1

एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें

- लक्ष्य 12.4
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- **लक्ष्य** 13.2
- लक्ष्य 13.3

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन

• लक्ष्य 15.1















स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित सुझाई गई जलवायु स्मार्ट अनुकूलन क्षमता और संबंधी गतिविधियाँ सह-लाभ किया गया ऊर्जा सुरक्षा क. सोलररूफ टॉप एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता की संस्थापना लक्ष्य 6.4 उष्ण से राहत आजीविका के उन्नत विकल्प एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा अतिरिक्त राजस्व सृजन लक्ष्य 7.1 उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत ख. कृषि-फोटोवोल्टिक लक्ष्य 7.2 प्रदान करता है, जिसके लक्ष्य 7.3 परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और लक्ष्य ७.ए उत्पादकता में वृद्धि होती है लक्ष्य ७.बी विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार ग. सौर पंप पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ और बुनियादी ढांचा घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी • लक्ष्य 9.1 विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लक्ष्य 13.2 घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को लक्ष्य 13.3 का प्रयोग समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि ङ. ऊर्जा दक्षता च. सोलर स्ट्रीट लाइट

सतत और उन्नत गतिशीलता

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित सुझाई गई जलवायु स्मार्ट अनुकूलन क्षमता और संबंधी गतिविधियाँ किया गया सह-लाभ क. मौजूदा बुनियादी एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट सड़क ढांचे बेहतर से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र लक्ष्य 7.2 के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है करना जोखिम वाले और संवेदनशील एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय लोगों के लिए बेहतर पहुंच लक्ष्य 11.2 अतिरिक्त राजस्व सृजन ख. ई-ऑटोरिक्शा (अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा मील कनेक्टिविटी) के अंतिम-मील कनेक्टिविटी में लक्ष्य 9.1 माध्यम से सार्वजनिक वृद्धि और मध्यवर्ती जलभराव कम करने जैसे सार्वजनिक परिवहन एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही सह-लाभों के साथ सड़क (आईपीटी) को बढ़ाना लक्ष्य 13.2 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने लक्ष्य 13.3 के माध्यम से लचीलेपन में सुधार ग. इलेक्ट्रिक माल परिवहन वाहन किराए पर लेने और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

क. प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री



ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बेचना



ग. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी बढाना



घ. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा



ङ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से आजीविका में सुधार



च. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन



छ. नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी
- स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट
- 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजिनक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण
- अतिरिक्त राजस्व सृजन
- आजीविका के उन्नत विकल्प
- औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ
- कृषिवानिकी, प्राकृतिक
 औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।
- जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि
- स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है
- वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि

एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़िकयों को सशक्त बनाना

लक्ष्य 5.5

एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास

लक्ष्य 8.3

एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें

- लक्ष्य 12.2
- लक्ष्य 12.4
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3





आगे की राह

पिन्वयन पर प्रस्तावित सुझाव न केवल नेहिया खुर्द के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा हासिल करने में भी मदद करेंगी, जिससे ग्राम पंचायत जलवायु को स्मार्ट, लचीला (रिसाइलेंट) और टिकाऊ बनाएगी। यह अपने निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त ये सिफारिशें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। नेहिया खुर्द के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन प्लान ऊर्जा, कृषि लागत, पानी आदि पर खर्च में कमी जैसे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसे 'आत्मनिर्भर' बनाएगा और यह आर्थिक विकास के नए रास्ते शुरू करेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना ॥, 2022 में परिकल्पना के अनुसार, नेहिया खुर्द जलवायु कार्यवाही पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो परिपेक्ष में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी (NDC), 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे

जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर अनुरूप समाधान की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त की उपलब्धता से ही सफल हो सकता है। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित चल रही गतिविधियों को एकीकृत करके और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हासिल किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक पणधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही नेहिया खुर्द को एक मॉडल जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित जीवन (लाइफ) मिशन की तर्ज पर एक स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व और व्यवहार परिवर्तन की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

9

अनुलग्नक

अनुलग्नक ।: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) जलवायु विषय पर कार्य करने की दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्व के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु संबंधी व्यापक कार्यवाही शुरू की है। ऐसी ही एक पहल 'जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायतों' के लिए कार्ययोजना विकसित करना है। इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के 39 संवेदनशील जिलों⁹¹ में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए तेजी से बहु-मानदंड मूल्यांकन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों की घोषणा की गई और इनमें से कई को दिनांक 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) के दौरान सम्मानित किया गया।

नेहिया खुर्द के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹² पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया गया है। कार्ययोजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु कार्यवाही को मुख्यधारा में लाने के लिए एक अनुकूलित खाका प्रदान करना है। इसके परिणामस्वरूप न केवल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए स्थानीयकृत जलवायु पहल को मजबूत किया जाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य के साथ उत्सर्जन को भी कम किया जाएगा।

इस कार्ययोजना को विकसित करने में अपनाया गया सहभागी दृष्टिकोण बॉटम-अप योजना की अवधारणा की पुष्टि करता है। इस कार्ययोजना में प्रदान की गई प्रमुख सिफारिशों को व्यक्तिगत प्रायोगिक परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है जिन्हें सीएसआर फंड, मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रम, अभिनव सार्वजिनक-निजी भागीदारी, कार्बन वित्त और निजी निवेश जैसे कई वित्तपोषण विकल्पों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कार्ययोजना में पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) बनाने और इस कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

 सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

⁹¹ यूपी के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान यूपी के जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी, यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना के लिए स्कोपिंग आकलन से की गई थी।

⁹² इस दस्तावेज़ में मुख्य जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना शामिल है और इसमें अनुलग्नक के रूप में निम्नलिखित शामिल हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; भरी हुई प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।
- हितधारकों से परामर्श और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सिचवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्य और पहलुओं, कार्ययोजना के विकास की प्रक्रिया और इसमें उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और केन्द्रिय समूह परिचर्चा परिचर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभाओं और केन्द्रित समूह चर्चाओं का आयोजन किया
 गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए ख़तरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) (HRVCA) भी किया गया।
 - » ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए केन्द्रित समूह चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त जानकारियों के आधार पर, योजना विकसित की गई और ग्राम पंचायत के लिए आधारभूत मूल्यांकन किया गया। इसमें क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों की पहचान शामिल है जो न केवल पहचाने गए पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं अपितु पंचायत की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हैं।
- जानकारियों में कमी और अतिरिक्त आवश्यक जानकारी की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को पूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक ॥: प्रश्नाावली









उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायतः नेहिया खुर्द बुजुर्ग विकासखण्डः खलीलाबाद जनपदः संतकबीरनगर

गाँव की रुपरेखा

		विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत– समुदाय के सदस्य)
	1	राजस्व गाँव की संख्या	1
	2	टोलों की संख्या	3
	а	कुल जनसंख्या	2700
	b	कुल पुरुषों की जनसंख्या	1400
3	С	कुल महिलाओं की जनसंख्या	1300
3	d	विकलांगजन की जनसंख्या	9
	е	कुल बच्चों की जनसंख्या	880
	f	वरिष्ट नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	300
4		कुल परिवार की संख्या	438
	а	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	92
5			202.16 हे0
5		4361 Himler diane ((470/ 20)	202.16 80
6	а	साक्षरता दर	87 %
7	а	पक्का घरों की संख्या	417
	b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	21











II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार			कुल परिव	गरों की संख्या	
	निजी भूमि / स्वयं क	ो भूमि	250			
	किराए की भूमि (हुण	ভা)	7			
	अनुबंध खेती	25				
	दिहाड़ी मजदूर	दिहाड़ी मजदूर				
	अन्य व्यवस्था (रेहन,	अधिया आदि)	40			
	गतिविधि में शामिल	कारी (एक से अधिक कृषि परिवार, उल्लेख करें)	Nil			
9	ग्राम पंचायत में आर	ा के स्रोत		कुल परिव	गरों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरणः आदि)	अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी	25			
	कुटीर उद्योग		80			
	कृषि		250			
	कला / हस्तकला		2			
	पशुपालन		50			
	व्यवसाय (स्थानीय व्	रुकान)	20			
	व्यवसाय / उद्यम		Nil			
	दैनिक / दिहाड़ी मज	दूर (अकृषिगत)	150			
	अन्य		40			
10	पलायन			हां	नहीं	
ã		ों में आप के ग्राम पंचायत से ग्राग	मीणों ने	✓□		
t	पलायन करने वाले सीीन	पिछले पांच वर्षों में पलायन कर परिवार / व्यक्तिगत की संख्या	ने वाले		पलायन के मुख्य कारण	
	अन्य गांव	Nil				
	निकट के शहर	Nil				
	राज्य के प्रमुख शहर	Nil				
	देश के प्रमुख महानगर	25 व्यक्ति			आजीविका हेतु	
	् क्या पिछले पांच वष	ों में आप के ग्राम पंचायत में		हां	नहीं	
C				✓□		
С	पिछले पांच वर्षों में	10 परिवारों ने जमीन लेकर प्रव	ास किया	है।		










आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।

ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द खलीलाबाद कस्बा के नजदीक होने के कारण लोगों ने जमीन लेकर मकान बनवाएं हैं।

1	l1	महिलाओं की स्थिति	
	а	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत– महिला)	50
	h	खेती में कार्यरत महिला	50 कुल संख्या
		निजी भूमि / स्वयं की भूमि	35
		किराए की भूमि / हुण्डा	Nil
		अनुबंध खेती	Nil
		दिहाड़ी मजदूर	10-15
		अन्य व्यवस्था	Nil
		अन्य सूचनाएं / जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांश महिलाएं अपनी खेती से संबंधित कार्य करती है।
	С	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
		सेवा क्षेत्र (उदाहरणः अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	2
		कुटीर उद्योग	Nil
		कृषि	35
		कला / हस्तकला	Nil
		पशुपालन	3
		व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	3
		दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	Nil
		अन्य	25 सिलाई आदि का काम











12	स्वयं सहायता समूहों									
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव					
1.	बाबा साहब	12	बकरीपालन / छोटी दुकान / सिलाई	6240 / —	हां					
2.	लक्ष्मी	14	सिलाई	7280 / -	हां					
3.	अम्बेडकर	12	बकरीपालन / सिलाई	6240 / —	हां					
4.	मां दुर्गा	12	बकरीपालन / सिलाई	6240 / -	हां					
5.	मां सीता	11	बकरीपालन / छोटी दुकान / सिलाई	5720 / —	हां					
6.	जय अम्बे	10	बकरीपालन / सिलाई	5200 / —	हां					
7	जय मॉ लक्ष्मी	11	बकरीपालन / सिलाई	5720 / —	हां					
8.	जय माता दी	12	बकरीपालन / छोटी दुकान / सिलाई	6240 / -	हां					
9.	संतोषी	13	बकरीपालन	6760 / —	हां					
10.	बजरंगी	11	Nil	5720 / —	हां					
11.	बुद्व भगवान	12	बकरीपालन	6240 / -	हां					
12.	अनुराधा	12	Nil	6240 / -	हां					
13.	सूर्या	10	बकरीपालन	5200/-	हां					
14.	मां काली	12	बकरीपालन	6240 / -	हां					

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)									
	एफ0पी0ओ0 का नाम	संगठन की	एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत		पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां / गतिविधियों का क्षेत्र				
	बंश बहादुर फार्मिंग प्रोड्यूसर कम्पनी	नहीं□	10	रू० 1,40,000 / - बचत	Nil	Nil				
	Nil									
	Nil									
	Nil									











14	अन्य समुदाय आधारित सं	गठन /	नहीं है			
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil					
	Nil					
	Nil					
	Nil					
	Nil					
	Nil					
	Nil					
	Nil					

15		योजनाएं					
	a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभार्थियों	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रू0)	अन्य कोई बकाया (रू0)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
		मनरेगा	750	750	Rs. 7,57,500/-	-	आरसीसी नाला निर्माण, खेलकूद मैदान, इन्टरलॉकिंग, मिट्टी का कार्य
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	384	384			
		प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	26	26	गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर		
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1	1	सोलर पैनल	-	सिंचाई
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	Nil				
	b	अन्य योजनाएं					
		ग्राम उज्जवला योजना	Nil				
		ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				









	प्रधानमंत्री आवास योजना		14		लाभार्थी का आवास बना
		14		1680000/-	है।
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	384	384	Nil	प्रत्येक माह 5—35 किलों खाद्यान्न मिलता है।
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil			
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	Nil			
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil			
	मौसम आधारित फसल बीमा	Nil			
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	Nil			
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nil			
	किसान क्रेडिट कार्ड	250			
	स्वच्छ भारत मिशन	110	110	1320000/-	लाभार्थी के घर शौचालय बना है।
	सौर सिंचाई पम्प योजना	1	1		लाभार्थी को सोलर पैनल मिला है।
	नई / नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil			
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil			
	गोवर्धन योजना	Nil			
	जल पुनर्भरण योजना	Nil			
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	Nil			
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil			
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil			
	अन्य (एक जिला–एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)				
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	Nil			
\Box		I.			











16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	1550
	ई—बैंकिंग/डिजीटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	350

18	निकट कृषि बाजार / क्रय केन्द्र / सरकारी केंद्र	क्या ग्राम द्वारा बाजा केन्द्र का होता है	र / क्य उपयोग	यदि नही, तो बाजार / केन्द्र का उपयोग क्यों नही किया जाता	फसल (कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	खलीलाबाद के पास	√ □			गेंहू 3150	900	0.6 किमी
	खलीलाबाद के पास	✓□			धान 3800	1140	0.6 किमी
	Nil						
	Nil						

19		शिक्षा (केवर	न ग्राम पं	वायत में)		
		प्रकार / स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)		विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच / उपलब्धता—(2), आर्थिक समस्या—(3), अन्य— (4) उल्लेख करें)
	а	प्राथमिक विद्यालय	185.80	180	0	25 प्रतिशत बच्चें मानसून, जाड़े के मौसम एवं कृषि कार्यों के कारण विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं।
	b	जू० हाई स्कूल	प्राइवेट विद्याल य			











С	हाई स्कूल	Nil		
d	अन्य संस्थान	Nil		

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता							
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2		सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)				
	लखनऊ—गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग एनएच 28	2	1 किलोमीटर	2				











III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

2	2	वन भूमि का विवरण	
	а	वन का क्षेत्र	Nil
	b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
	С	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
	d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
		विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन / वन कटाई की गतिविधियां	Nil
		अनुमानित वन उन्मूलन / वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil

2:	3	अन्य भूमि का वर्गीकरण						
		ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	1.5 (एकड़)					
	b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	1.25 (एकड़)					
	С	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां	नहीं	आच्छादित क्षेत्रफल			
				✓□				
		खनन के प्रकार	Nil					
		बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3						
		अतिरिक्त सूचनाएं	Nil					

2	4	जल निकाय क्षेत्र					
		विवरण	हां	नहीं			
		क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	√ □				
	b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	4				
	С	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	✓□				











d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	10—15 वर्षों से
	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हां

2!	5	जल आपूर्ति	
	а	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य	
		स्रोत क्या है?	
		नहर (1)	
		वर्षा जल—(2)	
		भूमिगत जल—(3)	
		तालाब / झील—(4)	(3)
		अन्य— (5)	अन्य (5) पाइपलाईन
	b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
	С	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?	
		पाइप जलापूर्ति (1)	
		ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)	
		पानी टंकी (3)	
		महिलाओं / बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)	
		हैण्डपम्प (5)	
		ऊँचा सतही जलाशय (6)	
		कूंआ (7)	(1)
		अन्य (8), उल्लेखित करें।	(3) जल जीवन मिशन का टंकी
		अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	(5)
	d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	421
	е	क्या पानी का बहाव / प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
	f	पइप जलापूर्ति की नियमितता	
		24× 7 ਬਾਟੇ (1)	(2)
		काफी नियमित (2)	2 घण्टे सुबह और 2 घण्टे शाम
		अनियमित (3)	
	g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति	











	का मुख्य स्रोत क्या है?	वर्षा जल (2)
	नहर (1)	(नलकूप (3 A)
	वर्षा जल (2)	अन्य (7) व्यक्तिगत बोरिंग
	भूमिगत जल — (नलकूप (3 A), कूआ (3 B)	
	तालाब / झील (4)	
	पानी टैंक (5)	
	नदी (6)	
	अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	नलकूप एवं व्यक्तिगत बोरिंग का प्रयोग फसल की आवश्यकतानुसार, एवं वर्षाजल मौसमी है।
i	क्या जलापूर्ति का बहाव / प्रवाह दर कम / अधिक या संतोषजनक है?	प्रवाह दर कम
	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)	घरेलू, प्रयोग हेतु पर्याप्त है एवं कृषि आदि हेतु जल आपूर्ति अपर्याप्त है।
j	क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी / घटी या सूख गया?	Nil
	क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है।









IV. <u>जलवायु की धारणा</u>

	तापमान व	न व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन / बदलाव			
26					
а	गर्मी के माह में देखा गया				
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
		✓ □			
C	दिनों की संख्या	15 दिन			
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)				
27					
а	सर्दी के माह में महसूस किया गया				
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि		ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	दिनों की संख्या		४ □ लगभग 30 दिन	Ш	
С			लगमग ३० । दन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)				
28					
а	मानसून माह में महसूस किया गया			1	
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
С	दिनों की संख्या		20-25		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	कम दिनो में ही अधिव	। p वर्षा हो जाती है।		
29					
а	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
		□ वर्षा दिनों में वृद्धि		वर्षा के दिनों में कोई	
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन			परिवर्तन नहीं	
			✓ □		
С	दिनों की संख्या		20-25		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
			✓ □		
е	दिनों की संख्या		4-5		
f	अन्य सूचनाए/जानकारी				









	चरम मौसम की घटनाएं							
30	0	सूखा						
		सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022) У □	द्वितीय वर्ष (2021) ४ □	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) У □	
	b	किस माह में सूखा देखा गया		जून–जुलाई	Ц		जून–जुलाई	
		सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर			कृषि स्तर पर प्रबन्धन अतिरिक्त सिंचाई बोआई देर से		
	d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि ✓ □	कमी	कोई परिवर्तन नहीं □			
		अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना–1, स्वास्थ्य पर प्रभाव–2		1979 सूखा पड़ा 800 लोग प्रभावित हुए। र			हुई ।	
3:	1	बाढ़	-				•	
		बाढ़ की घटना नहीं है, केवल जलजमाव होता है	प्रथम वर्ष (2022) □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020) □	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) □	
	b	किस माह में बाढ़ देखा गया						
	С	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरे	न्नू स्तर पर प्रब	न्धन -	कृषि स्तर पर प्रबन्धन		
	d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि □	कमी	कोई परिवर्तन नहीं □			
	е	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर प्रभाव—2						
32	2	भूस्खलन						
	а	भूस्खलन की घटना नहीं	प्रथम वर्ष (2022) □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) □	
	b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	_	_	_	_	_	
	С	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्र	गब न् धन	
	d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	е	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी						









	प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर प्रभाव—2					
33	ओलावृष्टि					
а	ओलावृष्टि की घटना नहीं	प्रथम वर्ष (2022) □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) □
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई					
	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर			कृषि स्तर पर प्र	ग्रबन्धन
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
	,					
34	फसलों के कीट/बीमारी			٠ ،	٠ ,	٠ ,
	कीट / टिड्डी / बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (२०२१)	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष (२०१०)	पंचम वर्ष (२०१८)
а	4011974	(2022)	(2021) v	(2020) v	(2019) ✓ □	(2018) ✓ □
	किस माह में कीट / टिड्डी / बीमारी को देखा गया?	प्याज, बैंगन, मिर्च में फरवरी मार्च माह में गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह	माहो — सरसों में जनवरी फरवरी माह में थ्रिप्स — प्याज, बैंगन, मिर्च में फरवरी मार्च माह में फरवरी मार्च माह में गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह भें।	धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह	गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह में। हर्दिया—धान में अगस्त मध्य से अक्टूबर माह	सरसों में जनवरी फरवरी माह में थ्रिप्स — प्याज, बैंगन, मिर्च में फरवरी मार्च माह में फरवरी मार्च माह में गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह में।
		में। हर्दिया–धान	में। हर्दिया—धान	में। हर्दिया–धान	तक। सब्जी में	हर्दिया–धान में अगस्त









			में अगस्त	में अगस्त	में अगस्त	फलछेदक	मध्य से
			मध्य से	मध्य से	मध्य से	बैंगन,	अक्टूबर माह
			अक्टूबर माह	अक्टूबर माह	अक्टूबर माह	टमाटर, मिर्चा,	तक।
			तक।	तक।	तक।	करैला में मार्च	सब्जी में
			सब्जी में	सब्जी में	सब्जी में	अप्रैल एवं	फलछेदक
			पलछोदक फलछेदक	फलछेदक	फलछेदक	अगस्त	बैंगन,
			नाराळदवा —बैंगन,	भारतळ ५४) -बैंगन,	बैंगन,	जगस्त सितम्बर माह	–वगग, टमाटर, मिर्चा,
			—बगग, टमाटर,		–षगग, टमाटर, मिर्चा,		करैला में मार्च
			टगाटर, मिर्चा, करैला		करैला में	ा विषाणुजनित	अप्रैल एवं
			में मार्च अप्रैल		मार्च अप्रैल	रोग –	अगस्त
			प्तं अगस्त	एवं अगस्त	एवं अगस्त	टमाटर,	सितम्बर माह
			सितम्बर माह	-		भिण्डी,करैला	में।
			में।	में।	में।	में मार्च अप्रैल	विषाणुजनित
			ग । विषाणुजनित	विषाणुजनित	विषाणुजनित	एवं अगस्त	रोग –
			रोग —	रोग —	रोग –	सितम्बर माह	टमाटर,
			टमाटर,	टमाटर,	टमाटर,	में।	भिण्डी,करैला
					भिण्डी,करैला	11	में मार्च अप्रैल
				में मार्च अप्रैल			एवं अगस्त
				एवं अगस्त	एवं अगस्त		सितम्बर माह
				सितम्बर माह	सितम्बर माह		में।
			में।	में।	में।		
		कौन सी कीट/ टिड्डी/बीमारी	माहो, थ्रिप्स,	माहो, थ्रिप्स,	माहो, थ्रिप्स,	माहो, थ्रिप्स,	माहो, थ्रिप्स,
		द्रेखी गई।	गंधी कीट,	गंधी कीट,	गंधी कीट,	गंधी कीट,	गंधी कीट,
		X 31 12 1	गेरूई (रस्ट),	गेरूई (रस्ट),	गेरूई (रस्ट),	गेरूई (रस्ट),	गेरूई (रस्ट),
			झुलसा,	झुलसा,	झुलसा,	झुलसा,	झुलसा,
	b			हर्दिया, सब्जी			हर्दिया, सब्जी
	~			में फलछेदक		में फलछेदक	में फलछेदक
			एवं	एवं	एवं	एवं	एवं
			विषाणुजनित	विषाणुजनित		विषाणुजनित	विषाणुजनित
			रोग	रोग	रोग	रोग	रोग
\vdash		कीट / टिड्डी / बीमारी का	***	,		· · ·	1
		गरास्त्र केचे किया गुगा?					
	С	(सरकारी सहायता, निजी सहायता	किसान स्वयं	खरीदकर कीट	नाशकों का छि	ड़काव करते हैं।	
		आदि)					
\vdash		,					
	d	कीट / बीमारी की आवृत्ति : कीट	વાહ્ક	कमी	कोई परिवर्तन		
Ш		बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच			नहीं		
1 '							
\vdash		वर्षों में) अतिरिक्त जानकारी / सूचनाएं	√ □				

3	35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
			ग्राम पंचायत स्तर प्रबन्धन/तैयारी व है?		क्या ग्रामीणों तक पहुँच/उपलब्धता		
		आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं	











न आपदा प्रबन्धन योजना		√ □		
		√ □		
चेतावनी प्रणाली / मौसमी ावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी ाली		√ □		
गतकाल अनाज बैंक		√ □		
य		√ □		
	ा आपदा प्रबन्धन समिति चेतावनी प्रणाली / मौसमी विनी प्रणाली / कृषि चेतावनी ली ।।तकाल अनाज बैंक	ा आपदा प्रबन्धन समिति चेतावनी प्रणाली / मौसमी विनी प्रणाली / कृषि चेतावनी जिली जिकाल अनाज बैंक	ा आपदा प्रबन्धन समिति	ा आपदा प्रबन्धन समिति

3	6	अनाज भण्डारण				
	а	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाह	प्र/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?			
		अनाज (विवरण दें)	Nil			
		तेल	Nil			
		चीनी	Nil			
		अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil			
	b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	Nil			

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, जानकारी के स्रोत	पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध
	स्थानीय कृषि अधिकारी	Nil
	समाचार पत्र / समाचार / रेडियो	✓ □
	मोबाईल फोन/एप	✓ □
	मौखिक	✓ □
	कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि ज्ञान केन्द्र	Nil
	पशुपालन विभाग	Nil
	उद्यान विभाग	Nil
	अन्य	Nil

	कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)					
38	फसल हानि					
а	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु / मौसम	फसल का	हानि के कारण		परिणाम
			नाम	रोग, चरम,	हानि की	स्वरुप आय











		100 (4)		TIZZIAII	ППП	में हानि
		खरीफ (1) रबी (2) जायद / अन्य ऋतु (3)		घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	मात्रा (कुन्तल)	(औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1)	धान	रोग, वर्षा,	750	11,25000/-
	द्वितीय वर्ष (2021)	(2)	सरसों	ढण्ड शीतलहर पाला,	90	450000/-
	तृतीय वर्ष (2020)	(1)	धान	रोग, वर्षा,	1000	1400000/-
	चतुर्थ वर्ष (२०१९)	Nil				
	पंचवां वर्ष (२०१८)	(1)	धान	रोग, वर्षा	500	675000/-
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		✓□				
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।				









3	9	फसल पद्धति में बद	लाव			
		सामान्य फसल	खरीफ धान	रबी	जायद / अन्य ऋ	<u>ज</u> ु
	а			गेंहू, सरसों सब्ज़ी	सब्ज़ी	
	b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
		धान	जून का द्वितीय, तृतीय सप्ताह	जून— जुलाई	जुलाई के अंतिम सप्ताह	वर्षा न होने के कारण
		गेंहू	अक्टूबर	अक्टूबर नवम्बर	नवम्बर दिसम्बर	ठंड का देर से होना, इस वर्ष अक्टूबर में पानी बरसने से निचले स्थानों में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में हुई है।
		सरसों	अक्टूबर	अक्टूबर	सितम्बर का	अगैती सरसों की बुवाई, अगैती सरसों की बुवाई होने से माहो का
	С	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज की फसत	लें		

4	0	सिंचाई प्रणाली/पद्धति	ा में परिवर्तन			
	а	फसल का नाम	पद्धति का उपयोग	गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि / पद्धति का उपयोग (रुपया / एकड़)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)











			(6) (उल्लेखित करें)				
		धान	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते हैं।)	2000	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते	1300	
		गेंहू	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते हैं।)	1100	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते है।)	715	
		ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक ।	सिंचाई विधियां
	b	संख्या	90	Nil	1	वर्षा आधारित	Nil
	С	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	Nil				
4	_	पशु पालन / पशुधन					
	а	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुपालन सम्बन्धित गर् श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य– स्पष्ट करें (6)	ा पशुधन आर तेविधियां				











b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया़? वृद्घि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	बकरी 70	शीतलहर	सर्दी	(2)
	द्धितीय वर्ष (2021)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	बकरी 150	शीतलहर	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	बकरी 50	शीतलहर	सर्दी	(2)
	 चतुर्थ वर्ष (2019)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	बकरी 55	शीतलहर	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष (2018))	(1), (2) अन्य (3) बकरी	बकरी 35	शीतलहर	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
С	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	मुर्गी (1)	250 मुर्गी के चूजे(1)	शीतलहर	सर्दी	(2)
	द्धितीय वर्ष (2021)	मुर्गी (1)	200 मुर्गी के चूजे(1)	शीतलहर	सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	मुर्गी (1)	250 मुर्गी के चूजे(1)	शीतलहर	सर्दी	(2)
	चतुर्थ वर्ष (2019)	मुर्गी (1)	200 मुर्गी के चूजे(1)	शीतलहर	सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष (2018))	मुर्गी (1)	250 मुर्गी के चूजे(1)	शीतलहर	सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया









 _					
		कि कौन से है)	पशु का उल्लेख करें)		है?
			करे)		वृद्धि (1)
					कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
					पारपरान नहां (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil			
	द्धितीय वर्ष (2021)	Nil			
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil			
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil			
	पंचम वर्ष (2018)	Nil			
	अन्य जानकारी / सूचनाए	Nil			



कृषि व पशुपालन


>







	नाशी	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है		т Т
	खरपतवारनाशी	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा / एकड़)	250 ml ⁄ एकड	250 ml /एकड
		खरपतवार नाशीं के प्रकार	2-4D	
	पयोग	क्या विगत पांच वर्षी में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है		-
पी	m	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	200 ml / एकड 200 gram / एकड 12 gram / एकड 200 gram / एकड	200 ml / एकड 200 gram / एकड
सूचनाएं / जानक	 	कीटनाशकों के प्रकार	कराटे, (कीटनाशक) फ्यूराडान, स्ट्रेप्टोसाइवि लन, कापर आक्सी क्लोराइड	कराटे, (कीटनाशक) फ्यूराडान,
	उपयोग	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वएकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नही		7-
नाने वाले फ	उर्वरक	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा०/ एकड़)	100किलो यूरिया, 30 किलो डाई	100 किलो यूरिया, 50 किलो डाई
मुख उगाई उ		उर्वरक के प्रकार	यूरिया, डाई जिंक सल्फर	यूरिया, डाई पोटास सुपर फास्फेट
E.		ওধज (कु0)	5625	4500
		ऋतु / मौसम	<u>नम</u>	सर्च
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	<u>ध</u>	ا معر
42 a				




























43	43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां	ष्टियां			
	फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रू०/कृन्तल)	बिकी हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जै	फसल स्थाई गतिविधियां (१ कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मि	Nil	Nil	Nil	Nil	N:I
सि शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)	फसल स्थाई गतिविधियां (शून्य जुताई, मिल्विंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)					
	क्षेत्रफल (एकड़)					
	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)					













46	अपनाये गये स्थार्य	ो पशुधन प्रबन्धन तव	क्रनीक	
	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन (रू०) प्रति माह / बेचने पर
	गाय (देशी नस्ल)	200	पशुआहार, खुले में चराई	6000 / — प्रति माह
	गाय (संकर नस्ल)	nil		
	भैंस (देशी नस्ल)	350	पशुआहार, खुले में चराई	9500 / — प्रति माह
	भैंस (संकर नस्ल)	nil		
	बकरी	550	पशुआहार, खुले में चराई	3000 / - बेचने पर
	सुअर	nil		
	मुर्गी	5000	पोषण पूरक, आहार	200 / — बेचने पर
	मत्स्य	nil		
	अन्य	nil		

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

i,	47	जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)									
	а	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त							
			√ □								
	b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य						
					✓□						
	С	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू / कीचड़	गन्ध				
	d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)			
				✓□							











4	8	ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्र	बन्धन						
	а	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ / कचरा	सब्जी का छिलका, सूखा कचरा						
	b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ / कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	इकट्ठा नहीं होता हैं						
	С	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	□प्रतिदिन	□ साप्ताहिक	□ वैकल्पि	क्र दिन			
			हां	नहीं					
	d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?		√ □	ग्राम पंचायत र दूरी / ग्राम पंच अवस्थिति				
	e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?		✓□					
	f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?		✓□					
	g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुन:चक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)	
								नहीं करते	

4	.9	खुले में शौच मुक्त स्थिति				
	а	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	√ 🗆 हां	□ नहीं		
	b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	405			
	С	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	1		प्रमुख स्थान पंचायत भवन के पास	
	d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हां			
	е	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ–सफाई का अभाव, रख–रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)				











į	50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
	а	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	✓□			√ □	
	b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	60 प्रतिघर			15-20 L विपणन हेतु सब्ज़ी की सफाई	
	С	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो–	नहीं				
	d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई हैं तो—	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
а	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		✓ □	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		✓ 🗆	
С	उपस्वास्थ्य केन्द्र		✓□	
d	आंगनवाड़ी	✓□		जर्जर अवस्था में है।
е	आशा	✓ □		
f	स्वाथ्य कैम्प / मेला		✓□	
g	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल	✓□		

52	2	रोग / बीमारी								
		विगत वर्ष निम्नवत्	प्रभावित	प्रभावित अ	ायु समूह		सामान्य उपच	ार का विव	न्स् <u>य</u>	
		बीमारी / रोग से कितने लोग प्रभावित हुंए हैं?		प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्वास्थ्य देखभाल	घरेलू देखभाल	घर–घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
	а	वेक्टर—जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	48	22	20	6	nil			खलीलाबाद अस्पताल में
	b	जल—जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाई ड / हैपेटाइटिस आदि)	32	12	20		nil			खलीलाबाद अस्पताल में











	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	25	10	15	nil		
d	कुपोषण	1	1		आशा एवं एएनएम		खलीलाबाद अस्पताल में

VII. <u>उर्जा</u>

53		
а	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	438
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए०सी०	2
	एयर कुलर	107
	रेफ्रिजेटर / फ्रीज	98

54		विद्युत कटौती की आवृत्ति		
	а	दिन में कुछ बार	√ □	
		दिन में एक बार		
		विद्युत कटौती नही		
		प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	5-6	
		यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	nil	

55	वोल्टेज अस्थिरता / उतार—चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार		
	दिन में एक बार		
	अस्थिरता / उतार–चढ़ाव नहीं	√ □	

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	0
	सौर उर्जा	0












इमरजेंसी लाईट	48	
इन्टवटर्स	35	
अन्य साधन (उल्लेख करें)		

5	7	नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत		
	а	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
		घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
		विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
		चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
		ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
		अन्य सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil
		सौर स्ट्रीट लाईट	Nil	Nil
		बायोगैस	Nil	Nil
		विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	Nil	Nil
	b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं / कार्यकमों का उल्लेख करें)	Nil	Nil

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	100	30-40
	बायोगैस	0	
	एलपीजी गैस	438	10—12
	विद्युत	Nil	Nil
	सौर उर्जा	Nil	Nil
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	Nil	Nil












6	0	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों / मशीनों की सख्या	प्रयुक्त ईधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
	а	टैक्ट्रर	15	डीजल	10 किमी / प्रतिदिन नोट : केवल जुताई — बुवाई एवं घरेलू प्रयोग हेतु
	b	कम्बाईन हारवेस्टर	Nil	Nil	Nil
	С	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	Nil	Nil	Nil











61	ग्राम पंच	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)									
	ईधन के	प्रतिदिन की बिकी	आपूर्ति वाले	कितने प्रव हैं? (समय	कार के वाह 1/ अवधि	न एक 1 का उल्ले	देन/मह ोख करें)	ड़ीना में पे	ट्रोल पम	य से ईधन	लेते
	प्रकार		गांव की संख्या	टैक्ट्रर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई—रिक्शा	अन्य
ā	Nil										
k	Nil										

62	औद्योगिक इकाई			
	उद्योग के प्रकार	संख्या	विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2),	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	Nil			

अनुलग्नक ॥।: एचआरवीसीए रिपोर्ट

Draft



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत — नेहियाखुर्द बुजुर्ग विकासखण्ड — खलीलाबाद जनपद — संतकबीर नगर

2023-24

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विष्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता - प्रवृत्ति / परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां / झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द में सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, एवं बरसात का प्रभाव रहता है। 20 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी—मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी पहले की अपेक्षा 1 माह देर से शुरू हो रही है अर्थात दिसम्बर माह में सर्दी शुरू हो रही है और जनवरी के बाद ही समाप्त हो जाती है। पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक एक दो दिन के अंतर पर होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु वर्ष 2022 में बरसात के मौसम में मई—जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक—दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई जिससे सूखा जैसी स्थिति बन गई। खेती—किसानी करने वाले लोगों से पता चला कि आज से 20 वर्ष पहले धान की फसल में उन लोगों को केवल एक सिंचाई करना पड़ती थी किन्तु 2022 में धान की फसल में चार बार सिंचाई करना पड़ी रही है । गांव के लोग ने बताया कि पहले गर्मी मई—जून से लेकर अगस्त तक होती थी। किन्तु अब गर्मी 15 मार्च के बाद से सितम्बर तक रहती है।

विभिन्न प्रक्रिया के तहत पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा—खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनाएं निम्नवार वार हैं —

1. गांव को प्रभावित करने वाली अपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथिमीकीकरण

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार—विमर्श किया गया जिनसे उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफसफाई आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर आपदाओं की एक सूची प्राप्त हुई। इस सूची में सिम्मिलत आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक रैंकिंग को देखते हुए उनका प्राथिमीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा जलजमाव एवं सूखा है। इससे खेती, आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफसफाई आदि में जोखिम की संभावना बढ जाती है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार—विमर्श किया गया जिनका अबतक व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है और जिनकी क्षिति अभी तक लोग भूल नहीं पाएं है। ग्राम नेहिया खुर्द में वर्ष 1979 में यहां पर सूखा की बड़ी घटना हुई। इसमें 203 हे0 की खेती प्रभावित हुई तथा 800 लोग प्रभावित हुए। उसके बाद से पिछले वर्षों 2018, 2021 में एवं 2022 में तक सूखे ने लगभग पूरे गांव को प्रभावित किया है। 1980 में बहुत तेज आंधी—तूफान की घटना हुई, जिसमें पूरा गांव प्रभावित हुआ था। जनधन का भारी नुकसान हुआ। जिसमें 4—5 बच्चों की मौत हो गई थी।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 04 देखें।

आपदा की पहचान एवं प्राथिमीकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग को प्रभावित करते है —

आपदा का नाम	जन0	फर0	मार्च	अपै0	मई	जून	जुला0	अग0	सित0	अक्टू0	नव0	दिस0
जलजमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर					·							
आंधी तूफान												
ओला–पत्थर												

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेण्डर बनाने से एवं उस दौरान समुदाय से हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा, वर्षा विहिन दिनों की संख्या में वृद्वि तथा चरम पर तापमान पहुंचने से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव को करना पड़ रहा है।

जलजमाव इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जो प्रत्येक वर्ष समुदाय के आवागमन, खेती एवं मजदूरी को पूरी तरह प्रभावित करती है। साथ ही मई—जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, सामान्यतः मानसून के दिनों में जून—जुलाई में वर्षा का न होना, कम होना आदि सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन के चारे का संकट बनकर पूरे वर्ष झेलना पड रहा है। पिछले 10 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल जलजमाव व सूखा से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी—तूफान एवं ओला पत्थर, पाला, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी बहुत अधिक बनी रहती है। शीतलहर से पशुपालन मुख्यतः बकरीपालन प्रभावित हो रहा है, अर्थात बकरियों का बहुत नुकसान होता है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों महिला, पुरूष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये है।

आपदाओं का ग्राम पंचायत नेहिया के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, आजीविका, एवं स्वास्थ्य आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर एवं लू आदि आपदाओं का नेहियाखुर्द ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की संभावना बनती है। इसे गांव के लोगों ने माना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह—तरह के नुकसान सहना पड़ता है जो निम्न प्रकार है—

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	आसन्न	संभावित		संभावित जोखि	न प्रभावित क्षेत्र	
	आपदा् /	जोखिम का क्षेत्र		<u>.</u>		
	खतरे		जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1.	जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना, जलजनित बीमारी का जोखिम	बड़ी पुरवा	27 घर	27 उथले निजी हैण्डपम्प का जलस्तर दूषित
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बहकर फैल जाना	पूरा गांव	438 घर	सड़क, खड़न्जा, इन्टरलॉकिंग
		स्वास्थ्य	जलजनित बिमारियों (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना	पूरा गांव	438 घर	32 लोग प्रभावित
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिती कम होना।		438 घर	सड़क, विद्यालय भवन एवं परिसर में सीपेज
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्वजन, बच्चें, विकलांग, महिलाओं के गिर जाना / घायल हो जाना	पूरा गांव	300 वृद्घ 180 बच्चे 19 गर्भवती महिलाएं 9 विकलांग	सड़क टूट जाना आवागमन बाधित
			खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बोआई में विलम्ब, बीमारियों, कीट का प्रकोप	_	250 खेतीहर घर	30—35 एकड़ खेत में जलजमाव,
		उद्यान/ सब्जी उत्पादन	पेड़–पौधें एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।	1	_	1000 पेड़—पौधें 20—25 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप		50 घर	गाय, भैंस एवं बकरीपालन
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	750 जॉबकार्ड धारी	_	_
		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	_	4.5 एकड़ जलनिकायों में गंदा पानी भरना
		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार, खासपात की अधिकता कीट—पतंगों का प्रकोप			1.5 एकड़ खुले में खरपतवार, खासपात की अधिकता
2.	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी / संकट	पूरा गांव	438 घर	6 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, एवं 27 सामान्य प्राइवेट नल का जलस्तर नीचे चला जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा गांव	438 घर	150 हे0 खेती

		उधान/ सब्जी	सिंचाई लागत अधिक			1000 पेड़-पौधें
		उत्पादन				20—25 एकड़
						सब्जी
		पशुपालन		गाय, भैंस एवं	50 घर	चारागाह
				बकरी पालक		
			विभिन्न प्रकार की			
			बिमारियों का होना,			
			उत्पादन कम होना आदि			
3.	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू	पूरा गांव	438 घर	स्वास्थ्य सेवाएं
			लगना, स्वास्थ्य खराब			बाधित होना,
			होना,			पेयजल संकट चारा
			टीकाकरण में बाधा			का सूख जाना
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य	_	180 बच्चें	शिक्षा बाधित
			प्रभावित			
4.	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को	पूरा गांव –	438 घर	शीतलहर के प्रकोप
			उ ण्ड लगना।	बुजुर्गों सांस की	बुजुर्ग एवं बच्चें	से मानव स्वास्थ्य
				बीमारी में वृद्धि		हानि
			· · ·			
		कृषि	शीतलहर से फसलों को	_	_	खेत
			नुकसान			
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल	पूरा गांव	50 पशुपालक घर	प्रत्येक वर्ष ४०–५०
			का नुकसान			बकरियों की मृत्यु
5.	ओला–	मानव स्वास्थ्य	छोटे बच्चें, वृद्वजन,	पूरा गांव	21 कच्चे घर	कच्चे घरों का
	वृष्टि	एवं पेयजल	महिलाएं के गिरने, चोट		9 विकलांग	क्षतिग्रस्त होना,
			लगने का खतरा			फसलों का नष्ट
			जानवरों के घायल होना			होना

आजीविका के साधनों पर आपादा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषिगत मजदूरी एवं पशुपालन है। जलजमाव के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 05 देखें।

3. नाजुकता विश्लेषण

आपदाओं का बार—बार सामना करने से उससे प्रभावित समुदाय साामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। समुदाय ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल आदि को जानना अति आवश्यक था। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री आदि की मदद से नाजुक वर्ग; जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में नाजुक स्थल, एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

1. जलजमाव

जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रभावस्वरूप नेहियाखुर्द ग्राम पंचायत में जल—जमाव मुख्य समस्या है। इस ग्राम पंचायत के उत्तर—पश्चिम में झझवाँ ताल स्थित है, जो कि 14 बीघा में फैला है और गाद से पटा हुआ है। बरसात के दौरान करीब 50 गांवों का वर्षाजल इस ताल में एकत्रित होता है और ''बनवा'' नालों के द्वारा आमी नदी में मिल जाता है। ''बनवा'' नाला ग्राम

पंचायत नेहियाखुर्द के उत्तर भाग में है जो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर निकलता हैं। इस नाले के पट जाने से, इसका स्वरूप एवं ढलान बिगड़ गया है। बरसात में अत्यधिक वर्षा व जलभराव होने एवं नाले की उपयुक्त गहराई नहीं होने से इसका अधिकांश पानी ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द के कृषिगत भूमि एवं बड़ी पुरवा के निचली बसाहट में फैल जाता हैं। गांव में निम्नलिखित विकास की दशाएं जो जलजमाव में वृद्वि करते है —

- गांव की मुख्य सड़क जो लखनऊ—गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग से नेहियाखुर्द पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग अपेक्षाकृत नीचा है एवं जगह—जगह से टूटी हुई हैं।
- बड़ी पुरवा में आरसीसी सड़क के साथ जलनिकासी की व्यवस्था हेतु जो चैम्बर लगे हैं उनमें से 80 प्रतिशत चैम्बर टूटे हुए हैं, या गायब हो गये हैं। इससे इसमें कचरा भर जाता है।
- इंगलिश मीडियम निजी विद्यालय जो बड़ी पुरवा के पूरब दिशा में स्थित हैं इसका विकास अनियोजित ढंग से हुआ है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलकर आया कि इंगलिश मीडियम विद्यालय अनियोजित ढ़ंग से बना हैं जो बनवा नाले के पानी को गांव के बाहर निकलने से रोकता है इस कारण भी गांव में जलजमाव का समयावधि बढ़ जाती है।
- बड़ी पुरवा एवं मझली पुरवा के बीच में 2.5 एकड़ के तालाब पर लगभग 1.5 एकड भूमि पर अवैध कब्जा है। जिसके परिणामस्वरूप पानी का प्रवाह बाधित होता है।

समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव

- जलजमाव से बड़ी पुरवा के लगभग 18—20 घर प्रभावित होते हैं। घरों की दीवारों एवं फर्श में सीलन व सीपेज रहता है। 5—6 घरों की दीवारें दरक गई है।
- बड़ी पुरवा की आबादी का पूरा कूड़ा—कचरा निचले क्षेत्र में इक्टठा होता हैं जो जलजमाव के दौरान पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से समुदाय प्रभावित रहता है जैसे फोड़ा—फुंसी, सर्दी—जुकाम, बुखार आदि।
- जलजमाव से गांव के उत्तर एवं पूरब तरफ के लगभग 7 एकड़ कृषिभूमि 80—90 दिन (जून—अगस्त) तथा लगभग 2 एकड़ कृषिभूमि लगभग 5 महीना (जून—अक्टूबर) जलजमाव के प्रभाव में रहता है। इससे बीज आदि की लागत में बढ़ोत्तरी, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि का अत्यधिक प्रयोग करना पडता है।
- गांव की मुख्य सड़क जो लखनऊ—गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग से नेहियाखुर्द पंचायत भवन तक सम्पर्क मार्ग अपेक्षाकृत नीचा है एवं जगह—जगह से टूटी हुई हैं।
- इस पर बरसात में जलजमाव होने के कारण आवागमन बाधित होता है।
- इसी प्रकार गांव में छोटी पुरवा से बड़ी पुरवा की ओर जाने वाली सड़क पर भी जलजमाव की स्थिति बन जाती है जिससे लोगों का मानसून के दिनों में आवागमन कम हो जाता है।
- चैम्बर कई स्थानों पर टूटे होने एवं गायब होने से छोटे बच्चों एवं छोटे जानवरों के गिर कर फंसजाने का खतरा है। गांव का कचरा भी जलनिकासी वाले क्षेत्र में मिल जाने से गांव के तालाब का पानी प्रदूषित होती है, परिणामस्वरूप मतस्यपालन, पशुओं के पीने का पानी आदि की समका होती है। साथ ही उत्पादन भी प्रभावित होता है।

2. सूखा

समुदाय के साथ चर्चा से यह तथ्य निकल कर आया कि सूखा गांव की दूसरी बड़ी आपदा है। आज से 20 वर्ष पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु अब बरसात अनियमित और असमय होती है। विगत 6–7 वर्षों से बरसात के मौसम में जून में बारिश हुई ही नहीं और जुलाई माह में एक–दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई फिर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। इससे सूखा जैसी स्थित बन जा रही है। सूखे की स्थिति में निम्नलिखित गतिविधियां और वृद्वि कर रही हैं।

- गांव के खेतों में मेडबंधी जैसी जलसंरक्षण की गतिविधियों की कमी है।
- गांव में बाग—बागीचा नहीं के बराबर है। कहीं—कहीं पर दो—तीन फलदार वृक्ष भी है जो सामाजिक मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। निजी भूमि पर सागौन लगा हुआ है। यत्र—तत्र शीशम आदि के पेड लगे हैं।
- गांव में कुल 13 कुंए है, जो भूमिगत जलस्तर का प्रबंधन कर सकते है। इसमें से केवल 2 कुंए का पानी साफ है। एक कुंआ सुरक्षित है इस पर लोहे की जाली लगी है। इसके अतिरिक्त 11 कुंए में पानी के साथ पालीथीन, गंदगी, खरपतवार, मिट्टी आदि से भरा हुआ है। परिणामस्वरूप तालाब की जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
- वृक्षारोपण, पौधरोपण का अभाव है। सड़कों के किनारे, खेतों के मेड़ों पर कृषि व सामाजिक वानिकी का अभाव है।
- खेतों में केवल रसायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- पेयजल प्रभावित हुआ है। गर्मी के दिनों में 6 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प एवं 27 सामान्य निजी नल का जलस्तर नीचे चला जाता है।
- सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में सिंचाई की लागत बढ़ गई है। वर्ष 2022 में जून—अगस्त तक सूखे से पूरे धान की फसल का 50 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। इस गांव का 150 हे0 खेती का उपज सूखे से प्रभावित हो जाता है।
 - जानवरों को चारा का संकट हो जाता है साथ तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।

3. लू

लू तीसरे नम्बर पर गांव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलन कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं।

इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं। मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है, विशेषकर छोटे बच्चों के टीकाकरण आदि में बाधा आती है। पशुओं को चारा की एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है।

4. शीतलहर

शीतलहर गांव को प्रभावित करने वाली चौथे नम्बर की आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ कृषि को भी प्रभावित करता है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। शीतलहर में ठण्डी से औसतन प्रत्येक वर्ष 40–50 बकरियों की मृत्यु हो जाती है।

गाय—भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषिकार्य, मजदूरी, आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है। फसलों पर मुख्यतः आलू, दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है, परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है, फसल सूख जाती है। कीट—पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। जलौनी हेतु महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढ़ाचागत संरचना में किमयां हैं जो कि निम्नवार हैं —

- गांव में समुदाय आधारित संस्थाओं की कमी है। कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक, युवा मण्डल दल, महिला मण्डल, धार्मिक मण्डल, आदि सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं बाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
- लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है, लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव है। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लोग पशुपालन तो करते है, किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसलबीमा आदि की जानकारी न के बराबर है।
- वैकल्पिक एवं सौर ऊर्जा संबंधित गतिविधियां नहीं है। यहां 95 प्रतिशत से अधिक घरों पर पक्की छत है। जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। सड़क के किनारे प्रकाश हेतु एवं सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के प्रयोग की प्रबल संभावना है।
- गांव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इक्कटठा होकर गलियों, सड़कों एवं खड़न्जा आदि के किनारे पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता का अभाव है। परिणामस्वरूप मानसून के दिनों में यह कचरा बहकर जल निकास तंत्र को बाधित करता है एवं जलजमाव की समस्या को बढ़ाता है।
- मानसून के दिनों में जलजनित, मच्छर—मिक्खयों जनित बीमारियों की आशंका बनी रहती है। यहां टायफायड, मलेरिया, सांस संबंधित बीमारियां होती रहती है।
- गांव में अधिकांशतः मुख्य फसलें गेंहू सरसों, एवं धान ही उगाते है। खेती में विविधता,
 मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि संबंधित गतिविधियां नहीं है। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- गांव में गाय, भैस, आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं बिल्क सड़कों के किनारे ढेर लगाकर रखा रहता है या कण्डे के रूप में प्रयोग करते हैं।

- प्राथिमक विद्यालय के पास आंगनवाड़ी भवन बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से जर्जर है, इसमें बना शौचालय एवं बरामदा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 0–6 साल के 88 बच्चें आंगनवाड़ीकत्री के घर आते है, जहां विभिन्न स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा सुविधा में समस्या आती है। सीपेज वाले क्षेत्र में पोषाहार रखें जाने से इसके गुणवत्ता में कमी आती है।
- कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र के अभाव है। जिसके कारण समय पूर्व सूचना एवं जानकारी नहीं मिलती है।
- इसी प्रकार कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान आदि चेतावनी तंत्र के अभाव में यहां के लोगों की नाजुकता में वृद्धि करता है।
- गांव में जनसुविधा केन्द्र के नहीं होने से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी से लोग वंचित रह जाते है।
- ग्राम स्तर पर लघु / सूक्ष्म उद्योग, पारम्परिक रोजगार में कमी, जैसे कुल्हड़ बनाना, रस्सी बनाना, लोहार, बढ़ई नहीं है।

4. क्षमता विश्लेषण

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं एंव खतरों से गांव के साथ ही आसपास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते है। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते है। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है अर्थात यह संसाधन मददगार होते हैं।

ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द गोरखपुर—लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग से 50—60 मीटर उत्तर की ओर स्थित है, जिला मुख्यालय के नजदीक होने के कारण विकास के मुख्यतः सभी कार्य हुए है। इस गांव में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय, बच्चों के शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय, दो निजी विद्यालय है। हैं। ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द में अधिकांशतः, लगभग 95 प्रतिशत घर पक्के मकान है। लोगों के आवागमन हेतु गांव में खड़न्जा, इन्टरलॉकिंग मुख्य सड़कें इन्हीं मुख्य सड़कों के बीच में जल निकासी हेतु चैम्बर बने है, जो 80 प्रतिशत टूटे हुए है। कई स्थानों पर सड़क भी टूटी हुई है जिसके कारण वर्षा के दिनों में आवागमन में समस्या होती है। चैम्बर टूटे होने के कारण जलनिकासी भी बाधित है। सुरक्षित पेयजल हेतु पंचायत भवन के उत्तर तरफ एक पानी की टंकी है जिससे पूरे गांव के सभी टोले पर पानी की सप्लाई है। गांव में सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु 13 टोंटी भी है। घरों में भी पानी की सप्लाई है। गांव में सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु 13 टोंटी भी है। घरों में भी पानी की सप्लाई है। इसके साथ ही 14 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत में कुल छोटे—बड़े चार पोखरे है। जिसमें से पंचायत भवन के पास के पोखरे पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है। चार गड़ही है। प्राथमिक विद्यालय के रास्ते में प्रेम शंकर श्रीवास्तव के घर के पास 10—12 वृक्षों का आम, अमरूद महुआ, नीम आदि का निजी बागीचा है। मझली पुरवा के पास एक 800 पेड़ का सागौन का निजी बाग है। संगठन के तौर पर यहां 14 महिलाओं की स्वयं सहायता कार्यरत है जिसमें से सभी का बैंक से लिंक है तथा 12 का सीसीएल हो चुका है।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबकि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज हैं—

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गांव से दूरी
प्राथमिक विद्यालय	01	श्रीमती रश्मि यादव —9794618938	0.3 किमी
पूर्व माध्यमिक विद्यालय (प्राइवेट विद्यालय)	01		0.2 किमी
निजी इंगलिश मीडियम विद्यालय	01		0.9 किमी
पंचायत भवन	01		0.0 किमी
सरकारी राशन कार्ड की दुकान	01	श्री रमेश चन्द्र	0.4 किमी
थाना	01	श्री धर्मेंद्र मिश्रा — 8382807025	03 किमी
कचहरी, खलीलाबाद	01		०६ किमी
जिला चिकित्सालय	01	102, 108	०५ किमी
एम्बुलेंस व्यवस्था			
विकासखण्ड कार्यालय खलीलाबाद	01		०५ किमी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खलीलाबाद	01		०५ किमी
तहसील खलीलाबाद	01		०५ किमी
आपदा विभाग, संतकबीर नगर	01		०५ किमी
पोस्ट ऑफिस, डीहा बरदहिया	01		1.5 किमी
बिजली विभाग, खलीलाबाद	01		5.5 किमी
डिग्री कालेज	01		6.5 किमी
फायर स्टेशन	01	101	5.5 किमी
बिजली विभाग	01		5.5 किमी
बस स्टेशन	01		०५ किमी
रेलवे स्टेशन	01		०६ किमी
खाद बीज, दवा केन्द्र	01		0.6 किमी
बाजार	01		5.5 किमी
बैंक	01		5.5 किमी

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन /	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	दूरी					
पर्यावरण	पर्यावरणीय संसाधन								
1.	तालाब	04	_	0.2 किमी					
2.	कुंआ	13		0.2 किमी					
3.	नाला	02	_	0.4 किमी					
4.	बाग	03	प्रेम शंकर श्रीवास्तव	0.3 किमी					
5.	नदी	01	आमी नदी	5—६ किमी					
6.	कृषिगत क्षेत्र	370							
		एकड़							
7.	खुला क्षेत्र / सामुदायिक	1.5	1.25 एकड़ भूमि पर अतिकमण है।	0.3 किमी					
	भूमि	एकड							

मानव र	ां साधन			
1.	ग्राम प्रधान	01	श्रीमती नीलम सिंह — 6394813832	0.0 किमी
2.	शिक्षक–शिक्षिका	02	श्रीमती रश्मि यादव —9794618938	0.3 किमी
3.	आंगनवाड़ी	01	श्रीमती मालती गुप्ता — 7068720374	0.3 किमी
4.	आशा बहू	02	श्रीमती मीरा देवी — 6391204023	0.0 किमी
			श्रीमती रीता देवी — 6391204024	
5.	एएनएम	01	श्रीमती सोनम सिंह — 9839794645	0.1 किमी
6.	तैराक	01	_	
7.	छोलाछाप डाक्टर	03	बंगाली डाक्टर	1.0 किमी
8.	भूतपूर्व सैनिक	01	_	_

आपदा के समय सुविधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे है कि नहीं और ये सुविधाएं समुदाय की पंहुच में है कि नहीं। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार है –

क्रम.	मद	वर्ष 2022—23
1.	15वां वित्त आयोग	5,82,000 / -
2.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ०एस0आर)	_

क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे मं जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार—विमर्श के बाद ''जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण'' अवधारणा के तहत क्लाइमंट रमार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइर्मट स्मार्ट ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द बुजुर्ग की कार्य योजना तालिका –

क्म	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
1.	सेक्टर 1—	कचरे से पटे 11 कुंए	ग्रम प्रधान के घर से प्राथमिक विद्यालय के तरफ	छोटी पुरवा – 3	8 लाख	2 माह	१५वां वित्त
	मानव विकास एवं	की सफाई, सुरक्षा एवं	आने वाले रास्ते में, प्राथमिक विद्यालय से वड़ी	बड़ी पुरवा —6		गर्मी के	आयोग
	सामाजिक सुरक्षा –	मरम्मत का कार्य	पुरवा की ओर जाने वाले रास्ते के आस पास,	मझली पुरवा —2		मौसम में	
	साफ–सफाई एवं		बड़ी पुरवा पर एवं मझली पुरवा पर				
2.	स्वच्छता	कूड़ा पात्र रखवाना	कूड़ा निस्तारण हेतु 20 कूड़ा पात्र रखवाना	छोटी पुरवा — ४,	40 हजार	15 दिन	१५वां वित्त
				बड़ी पुरवा — 10			आयोग एवं
				मझली पुरवा —5,			ग्राम निधि
				पंचायत भवन — 1			
3.		शौचालय निर्माण	महिला / पुरूष एवं विकलांग हेतु शौचायल	प्राथमिक विद्यालय के पास	15 लाख	6 माह	१५वां वित्त
		(विकलांग)	निर्माण				आयोग
4.		जैविक /अजैविक	3 स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्य	छोटी पुरवा	4 लाख	3 माह	१५वां वित्त
		कूड़ा प्रबंधन केन्द्र	ग्राम पंचायत की जमीन में संरचना का निर्माण				आयोग
5.		नाडेप जैविक खाद	मृदा को नुम बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर	नाडे़प तालाब एवं गड़ही के पास,	4 लाख 50	6 माह	१५वां वित्त
		का पिट निर्माण	पर 30 वर्मी कम्पोस्ट एवं 15 नाडेप कम्पोस्ट पिट	वर्मी लाभार्थी का घर	हजार		आयोग / मनरे
			का निर्माण	छोटी पुरवा – 5			गा / कृषि
				बड़ी पुरवा — 15			विभाग
				मझली पुरवा —10			
6.		हैण्डपप्म रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 10 हैण्डपम्पों को	लाभार्थी का घर	6 लाख	4 माह	१५वां वित्त
			रीबोर कराना	छोटी पुरवा – 1			आयोग
				बड़ी पुरवा – 5			
				मझली पुरवा ४			

¹¹ | Page

कम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
7.	सेक्टर 1— मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा — साफ—सफाई एवं	पानी सफाई हेतु ट्रीटमेन्ट केन्द्र	गंदे पानी की सफाई हेतु 8 ट्रीटमेन्ट केन्द्र	बहवाघोले के पास —2 बड़ी पुरवा के तालाब —2 छोटी पुरवा के तालाब —2 मझली पुरवा के तालाब —2	20 লাख	6 माह	15वां वित्त आयोग
8.	स्वच्छता	साइफन को लगवाना	गंदे पानी के गांव से बाहर निकास हेतु मोटे साइफन लगवाना	चन्नौई ताल (बंगला ताल) से रेलवे ट्रैक तक	23 लाख	1 माह	15वां वित्त आयाग / मनरे गा
9.		नाला निर्माण	आरसीसी नाला 300 मीटर समसुदीन के घर से बहवा घोले तक	_	20 लाख	1माह बरसात के बाद	15वां वित्त
10.		नाला निर्माण	आरसीसी नाला 1200 मीटर छोटी पुरवा से बहवा घोले तक	_	80 लाख	2.5माह बरसात के बाद	15वां वित्त
11.		नाला सफाई एवं खुदाई गंदे पानी के निकासी	छोटे टोले से प्राइवेट इंगलिश मीडियम विद्यालय के आगे तक 2 किमी	बहवा नाला	20 लाख	1 माह	१५वां वित्त
12.		गंदे पानी के निकासी हेतु संरचना	राम देव के घर से छेदी चौरसिया के घर तक पानी निकासी हेतु संरचना, मोटे पाइप, सीमेन्टेड पाइप, सड़क (2.0 किमी) के साथ लोहे के चैम्बर (20 मीटर की दूरी पर, 100 चैम्बर)	-	50 लाख	2 माह बरसात के बाद	१५वां वित्त

| Page

ф н	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
13.	सेक्टर 2— बुनियादी / आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	आंगनवाड़ी केन्द्र का जीणेंद्वार	1 जर्जर आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन (कमरा, शौचालय, पेयजल, बरामदा आदि) का जीणौद्धार		15 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
14.		सोख्ता गढ्डा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 30 सोख्ता गढ्डा	छोटी पुरवा – 4 बडी परवा – 20	10 लाख 50 हजार	1 माह	15वां वित्त एवं /मनरेगा
				मझली पुरवा 6			
15.		तालाब संरक्षण	2 तालाब का संरक्षण का कार्य (सफाई,	1. झझवा पोखरा	12 लाख	3 माह जून	15वां वित्त एवं
			चौहदी, चबूतरा, वृक्षारोपण आदि का कार्य)	2. लम्बोहिया पोखरा		—अगस्त	/ मनरेगा / वन
			झझवा पोखरा (3.41 एकड़) लम्बोहिया पोखरा (0.178 एकड़)				विभाग
16.		तालाब खुदाई, सफाई	तालाब खुदाई, सफाई एवं संरक्षण	छोटी पुरवा	10 लाख	3 माह जून	15वां वित्त एवं
		एवं संरक्षण	(0.26 एकड़)			—अगस्त	/ मनरेगा / वन
							विभाग
17.		सड़क का उच्चीकरण	नेशनल हाईवे से लक्ष्मीपुर निचौरा पुलिया	ı	1 करोड़	2.5 ਸਾਵ	15वां वित्त एवं
			तक (2.5 किमी) की सड़क का उच्चीकरण		70 लाख	बरसात के	एवे मनरेगा
			(2 फीट ऊंचा)			बाद	
18.		सड़क का उच्चीकरण	मझली पुरवा से बड़ी पुरवा तक 1 किमी	ı	90 लाख	2.0 माह	15वां वित्त एवं
		एवं आरसीसी /	सड़क का उच्चीकरण (2फीट) एव			बरसात के	एवे मनरेगा
		इन्टरलॉकिंग	आरसीसी / इन्टरलॉकिंग			बाद	
19.		सड़क का	छेदी चौरसिया के खेत से प्राथमिक	1	45 लाख	1माह	15वां वित्त एवं
		आरसीसी /	विद्यालय तक 500 मीटर			बरसात के	एवे मनरेगा
		इन्टरलॉकिंग	आरसीसी / इन्टरलॉकिंग			बाद	
20.		सड़क का	सतीश श्रीवास्तव के खेत से लालमणी	1	35 लाख	1.5 माह	15वां वित्त एवं
		आरसीसी /	चौरसिया के घर तक 400 मीटर			बरसात के	मनरेगा
		इन्टरलॉकिंग	आरसीसी / इन्टरलॉकिंग			बाद	

ф ф	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित	अवधि	योजना का
					धनराशि		परिव्यय
21	सेक्टर 2-	राक् कड़ाम	रामकिशन चौरसिया के घर से प्रहलाद यादव	ı	50 लाख	1माह	15वां वित्त एवं
	बुनियादी / आधारभूत	इन्टरलॉकिंग	के घर तक 950 मीटर			बरसात	मनरेगा
	संरचना एवं पर्यावरण		आरसीसी / इन्टरलॉकिंग			के बाद	
22.		राक् कंस	विपतराम के घर से सिद्धनाथ के खेत, पक्की	I	25 लाख	1माह	15वां वित्त एवं
		इन्टरलॉकिंग	सड़क तक 250 मीटर			बरसात	मनरेगा
			आरसीसी / इन्टरलॉकिंग			के बाद	
23.		सड़क का मरम्मत	जग्गननाथ के खेत से छुन्नरी प्रसाद के घर	ı	20 लाख	1माह	15वां वित्त एवं
		कार्य	तक ४०० मीटर			बरसात	मनरेगा
						के बाद	
24.		मेड्बंदी कर वृक्षारोपण	1000 छायादार, फलदार एवं टिम्बरवाले वृक्षों	सभी ४ तालाब, अमृत सरोवर एवं	20 लाख	3 माह	15वां वित्त एवं
			का रोपण जाली के साथ पौधों को सुरक्षा	खेतों के आसपास		य	/ मनरेगा / वन
						—अगस्त	विभाग
25.		सौर ऊर्जा द्वारा	80 घरों के छतों पर सीर ऊर्जा के लिए पैनल	80 लाभार्थी का घर	16 लाख	3 माह	15वां वित्त
		प्रकाश की व्यवस्था	एवं प्रकाश व्यवस्था				
			(छत का क्षेत्र 1672 वर्ग मीटर)				
26.	सेक्टर ३–	नर्सरी का निर्माण	हाउस/नेट हाउस	मझली पुरवा 15 डिसमिल ग्राम	2 लाख	6 माह	मनरेगा
	आजीविका, कृषि,		बनाकर नर्सरी तैयार करना	पंचायत की जमीन पर			
	पशुपालन						
27.		स्थाई पशु आश्रय	ो क्षमता वाले	सभी टोले पर	50 लाख	6 माह	15वां वित्त
		स्थल	50 पशु आश्रयस्थल का निर्माण				आयोग

मोट: प्रधान जी द्वारा निर्माण कार्य गांव में कराया जाता है साथ में कराये गये कार्यों की बिलिंग आदि का कार्य अवर अभियन्ता के साथ मिलकर कराते हैं जिसके कारण इनको लागत आदि की जानकारी एवं अनुभव रहता है। अतः उन्हीं के द्वारा लागत आदि बताई गई है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द बुजुर्ग की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 19.01.2023 को पंचायत भवन, नेहियाखुद पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 19.01.2023 को पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरूष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी तीन मजरों से कुल 111 लोगों (पुरूष—51, महिला—36 एवं बच्चे— 24) भाग लिया।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्रामप्रधान प्रतिनिधि, पंचायत सचिव, 14 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने ग्राम पंचायत के तीनों मजरों— बड़ी पुरवा, छोटी पुरवा एवं मझला पुरवा का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर छोटी पुरवा उसके पश्चात् बड़ी पुरवा एवं मझली पुरवा के साथ तीन तालाब एवं गांव में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई। छोटी पुरवा से बड़ी पुरवा लगभग 1 किमी है। बड़ी पुरवा से मझला पुरवा लगभग आधा किमी की दूरी पर उपस्थित है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 02 देखें।

सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में स्थित खेलकूल मैदान परिसर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	202.16 हे0	तीनों बसाहट, बाग बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	3	बड़ी पुरवा, छोटी पुरवा, मझला पुरवा
कुल घरों की संख्या	438	बड़ी पुरवा (२५०घर), छोटी पुरवा (८घर), मझला पुरवा (१८०घर)
कुल पक्के घरों की संख्या	417	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान है।
कुल कच्चे घरों की संख्या	21	बड़ी पुरवा (10घर), छोटी पुरवा (3घर), मझला पुरवा (8घर)

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की	92	50 बड़ी पुरवा, 40 मझला पुरवा, 2छोटी पुरवा
संख्या		
विकलांग जनों की संख्या	9	2 महिला, 7 पुरूष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	50	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	14	बड़ी पुरवा (7), छोटी पुरवा (2), मझला पुरवा (5)

जातिगत / श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	4
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	310
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	52
कुल घरों की संख्या	438

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 03 देखें।

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द बुजुर्ग की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2023 को पूरे ग्राम सभा में लाउडस्पीकर द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 19.01.2023 को पंचायत भवन, नेहियाखुद पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 19.01.2023 को पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य,

स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरूष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी तीन मजरों से कुल 111 लोगों (पुरूष—51, महिला—36 एवं बच्चे— 24) भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम सिंह ने किया। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार सिंह जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं बताया कि



जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्रामपंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहें हैं। उनमें से संतकबीर नगर जनपद भी सम्मिलित है। संतकबीर नगर का नेहिया खुर्द बुजुर्ग ग्राम पंचायत को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है। पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनी हैं। परन्तु इस तीन—चार दिनों में जलवायुगत/मौसम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए।

यहां ग्राम पंचायत के बाहर पश्चिम—उत्तर में झझवाँ ताल है, जो कि 14 बीघा में फैला है। बरसात के दौरान करीब 50 गांवों का वर्षाजल इस ताल में एकत्रित होता है और नाले के द्वारा आमी नदी में मिल जाता है। यह नाला ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द के पश्चिम से पूरब की ओर निकलता हैं अत्यधिक जलभराव एवं नाले की गहराई कम होने के कारण बरसात में इसका अधिकांश पानी ग्राम पंचायत के कृषिगत भूमि में फैल जाता हैं। साथ ही साथ बड़ी पुरवा के लगभग 8—10 घरों को भी प्रभावित करता है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण—

	0.5	
प्रशासनिक समिति	निर्माण कार्य समिति	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
अध्यक्ष – श्रीमती नीलम सिंह	अध्यक्ष – राहुल कुमार शर्मा	अध्यक्ष – ज्योति देवी
	3 3	
्रसदस्य	्सदस्य	सदस्य
श्रीमती ज्योति देवी	रीता देवी	श्रीमती रीता देवी
श्रीमती रीता देवी	अम्बिका यादव	श्री अनिरूद्व यादव
श्री राहुल कुमार शर्मा	घर्मेन्द्र कुमार	श्री राम प्रसाद
	_	
श्री अम्बिका यादव	जबीरून निशा	श्री धर्मेन्द्र कुमार
श्री घर्मेन्द्र कुमार	गया प्रसाद	
श्रीमती जबीरून निशा		
	0 \ -: 0 00	Q00
पेयजल, स्वच्छता एवं जल	नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति
प्रबंधन समिति	अध्यक्ष – श्रीमती नीलम सिंह	अध्यक्ष – श्रीमती नीलम सिंह
अध्यक्ष – श्रीमती रीता देवी		
	सदस्य	सदस्य
सदस्य	श्रीमती ज्योति देवी	श्रीमती रीता देवी
		·
्रश्री अनिरूद्व यादव	श्री राहुल कुमार शर्मा	्रश्री राहुल कुमार
श्रीमती जबीरून निशा	श्रीमती रीता देवी	श्री अनिरूद यादव
श्री राम प्रसाद	श्री राम प्रसाद	श्रीमती ज्योति देवी
श्रीमती ज्योति देवी	श्री घर्मेन्द्र कुमार	श्रीमती धर्मेन्द्र कुमार
श्री धर्मेंद्र कुमार	श्रीमती जबीरून निशा	श्री राम प्रसाद

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम
1.	श्रीमती नीलम सिंह, ग्राम प्रधान
2.	मो० अफजल, वार्ड सदस्य
3.	श्री धर्मेन्द, वार्ड सदस्य
4.	श्रीमती गीता देवी, वार्ड सदस्य
5.	श्रीमती माधुरी मौर्या, वार्ड सदस्य
6.	श्री नीरज मौर्या, वार्ड सदस्य
7.	श्री राम प्रसाद, वार्ड सदस्य
8.	श्री अच्छे लाल, वार्ड सदस्य
9.	श्री अनिरूद्व, वार्ड सदस्य
10.	श्रीमती गीता, वार्ड सदस्य
11.	श्रीमती जमीरून्निशा, वार्ड सदस्य

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित ग्रामप्रधान प्रतिनिधि, पंचायत सचिव 14 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं समुदाय के सभी लोगों ने ग्राम पंचायत के तीनों मजरों— बड़ी पुरवा, छोटी पुरवा एवं मझला पुरवा का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर छोटीपुरवा उसके पश्चात् बड़ी पुरवा एवं मझली पुरवा के साथ तीन तालाब एवं गांव में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के भ्रमण के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई। छोटी पुरवा से बड़ी पुरवा लगभग 1 किमी है। बड़ी पुरवा से मझला पुरवा लगभग आधा किमी की दूरी पर उपस्थित है।

ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

बसाहट	तीन टोले गांव के शुरूआत में बाये दिशा में छोटी पुरवा है जिसमें 8 घर है। सभी पक्के मकान है, जानवरों एवं भूसा आदि रखने हेतु लोगों न कच्चे कमरे भी बनाएं है।
	बीच में बड़ी पुरवा है जहां अत्यधिक बसाहट है, यहां पर भी अधिकांश मकान पक्के बने हैं, कुछ मकान 10—15 मकान जीर्ण अवस्था में भी हैं। जिनकी दीवारें दरकी हुई हैं। यहां टीनशेड, फूस पक्की दीवार के साथ एसबेस्टस की मकान है।
	इसके बाद गांव के दक्षिण—पश्चिमी क्षेत्र में मझली पुरवा हैं जहां पक्के मकान के साथ टीनसेड के मकान है।
	गांव में कुंआ एवं हैण्डपम्प, एवं सप्लाई की टोंटी भी दिखा। लोग विभिन्न कार्यों हेतु पानी निकाल रहे थे। एक—दो कुंए सही स्थिति थोड़ी मात्रा में पानी दे रहे हैं। बड़ी पुरवा में गृहवाटिका में पालक, मूली, बैगन, मिर्चा, धनिया भी दिखा। कुछ छुट्टा पशु विचरण कर रहे थे। इसके अलावा गाय, बकरी, भैंस, आदि पशु भी है।
ताल–तलैया	4 तालाब (तीन बड़े एक छोटा)
	एक तालाब प्राथमिक विद्यालय एवं खेलकूद स्थल के पास है जिसका क्षेत्रफल 1.5 एकड़ है।
	एक तालाब पंचायत भवन के पास स्थित है जिस पर अमृतसरोवर का कार्य चल रहा है। इसका क्षेत्रफल 1 एकड़ है।
	एक तालाब मझली पुरवा के आस पास दक्षिण दिशा में यह 4 एकड़ के क्षेत्रफल में फेला है।
	एक तालाब छोटा है, यह 1.2 एकड़ है। इस पर अतिक्रमण है। लोग खेती करते है।
	एक तालाब पंचायत भवन के पास स्थित है जिस पर अमृतसरोवर का कार्य चल रहा है। इसका क्षेत्रफल 1 एकड़ है। एक तालाब मझली पुरवा के आस पास दक्षिण दिशा में यह 4 एकड़ के क्षेत्रफल में फेला है। एक तालाब छोटा है, यह 1.2 एकड़ है। इस पर अतिक्रमण है। लोग खेती करते

नाला	ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में एक नाला पश्चिम से पूरब ओर दिशा की ओर
	निकलता है। इसमें पानी की कम मात्रा है तथा सफाई कराने की आवश्यकता है।
हरित क्षेत्र	ग्राम पंचायत के भ्रमण में हरित क्षेत्र कम देखने को मिले।
बाग—बगीचा	प्राथमिक विद्यालय के रास्ते में प्रेम शंकर श्रीवास्तव के घर के पास कुछ फलदार
	वृक्ष की बागीचा है।
	मझली पुरवा के पास एक 800 पेड़ का सागौन का बाग है।
भौतिक संसाधन	पंचायत भवन के उत्तर तरफ एक पानी की टंकी है जिससे पूरे गांव के सभी टोले
	पर पानी की सप्लाई है। गांव में 13 सामुदायिक सप्लाई का टोंटी भी है। घरों में
	भी पानी की सप्लाई है।
	इसके साथ ही 14 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव में उपलब्ध हैं।
	1 आंगनवाड़ी भवन है। जिसमें एक कमरा, शौचालय एवं बरामदा है। यह जर्जर अवस्था में है। इसका प्रयोग नहीं होता है। आंगनवाड़ी सहायिका ने बताया कि बच्चों को सभी प्रकार की सुविधा वह अपने घर से देती है। आंगनवाड़ी के जीर्णोधार की आवश्यकता है।
	1 प्राथमिक विद्यालय एवं खेलकूद मैदान में शेड भी बना है। पंचायत भवन के पास ही एक जूनियर हाई स्कूल भी है।



सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित खेलकूल मैदान के परिषर में ग्रामवासियों के उपस्थित में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	202.16 हे0	1
कुल टोलों की संख्या	3	बड़ी पुरवा, छोटी पुरवा, मझला पुरवा
कुल घरों की संख्या	438	बड़ी पुरवा (250घर), छोटी पुरवा (8घर), मझला पुरवा (180घर)
कुल पक्के घरों की संख्या	417	प्रत्येक टोले पर अधिकांशतः पक्के छत वाले मकान है।
कुल कच्चे घरों की संख्या	21	बड़ी पुरवा (10घर), छोटी पुरवा (3घर), मझला पुरवा (8घर)
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की	92	50 बड़ी पुरवा, 40 मझला पुरवा, 2छोटी पुरवा
संख्या		
विकलांग जनों की संख्या	9	2 महिला, 7 पुरूष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	50	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	14	बड़ी पुरवा (7), छोटी पुरवा (2), मझला पुरवा (5)

जातिगत / श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	04
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	310
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	52
कुल घरों की संख्या	438


ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द, खलीलाबाद बाजार से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। इस ग्राम पंचायत से आमी नदी लगभग 5 किमी की दूरी पर उत्तर—पूरब दिशा से गुजरती है। इस ग्राम पंचायत में तीन बसाहट हैं — छोटी पुरवा, बड़ी पुरवा एवं मझली पुरवा। यहां मुस्लिम, धोबी, नाउ, सैंथवार, यादव, चौरसिया, कहार, कुर्मी, हरिजन आदि जातियां है।

कुल 92 परिवार आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग के है। बड़ी पुरवा के उत्तर पूर्व में निचली भूमि है जहां घरों में गन्दे पानी की निकासी की समस्या होती है, सीपेज के कारण पक्के मकान खराब हो गये है। ग्राम पंचायत नेहिया खुर्द के बड़ी पुरवा पर एक व्यक्ति (गुलाम नसीब पुत्र सोहराब) भूमिहीन है। मझली पुरवा पर एक व्यक्ति के पास रहने के लिए न तो कच्चा मकान है, नहीं पक्का मकान है। गांव में एक कमरा लेकर किराये पर रहते है।


9 विकलांक जनों में 2 महिला एवं 7 पुरूष हैं। सभी आंशिक रूप से विकलांग हैं।

87 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते है जबिक 80 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। 50 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है।

आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	25
छोटे उद्योग–धन्धे	80
कृषि आधारित	250
कला एवं शिल्पकार	2
पशुपालन	50
लोकल दुकान	20
गैर कृषि मजदूरी	150
अन्य	40



आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाकम

ग्राम पंचायत नेहियाखुर्द का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब—कब प्रभावित कर रही हैं। इस कम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि जलजमाव एक ऐसी आपदा है, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही है। साथ ही प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। हाल के वर्षों में सूखा, लू एवं शीतलहर का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बीमारी भी आपदा ही हो गयी है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव खेती में तैयार उत्पाद के लिए बाजार न मिलने के रूप में था। सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया है—

कम	वर्ष	आपदा	घटनाओं का	मृतको	प्रभावित	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु _, किया
		⁄ खतरा	कारण	की	लोगों की		गया कार्य
				संख्या	संख्या		· · -0
1.	1979	सूखा	बारिश कम	_	800 लोग	203 हे0 खेत	2008—09 में तालाबों की
			हुई		प्रभावित	प्रभावित	खुदाई एवं सफाई का
			जल संचयन				कार्य किया गया।
			क्षेत्रों पर				पेयजल हेतु हैण्डपम्प
			अतिक्रमण				रिबोर एवं समरसेबिल
							लगाना। कृषि सिंचाई
	1000	आंधी	पहाडों में			00 40 777	हेतु 1 ट्यूबवेल लगा।
2.	1980		पहाड़ा म अधिक वर्षा	4—5 बच्चें	पूरा गांव के लोग	30-40 एकड़ की	कोई कार्य नहीं
	5 मई	तूफान	आधक वषा	बच्च	क लाग	फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई।	
						(मड़ाई एवं ओसाई	
	1000	ओला	मौसम खराब			हेतु)	कोई कार्य नहीं
3.	1980	આળા	मासम खराब	_	पूरा गांव के लोग	80—90 एकड़ फसल नष्ट हो गई	काइ काय नहा
	12 मई				क लाग		
						(मड़ाई एवं ओसाई हेतु)	
4.	1990	हैजा का	गंदगी एवं	1-2		रोजगार बाधित	साफ–सफाई का कार्य
٠٠.	1990	प्रकोप	तेज हवा	। 2 बच्चें		हुआ भरणपोषण में	किया गया। पीने के
		ячлч	राज हुना	909		समस्या	पानी को उबाल करके
						रागरवा	पीने की बात हुई।
5.	1998	जलजमाव	जल निकासी	_	30-40	सड़क बर्बाद हो	कोई कार्य नहीं
٥.	1550	गराजागान	का अभाव,		परिवार के	जाती है।	नगर् नगन । ए।
			पोखरों, नालों		लोग	फसल बेकार हो	
			पर अतिक्रमण		जलजमाव	जाता है।	
6.	2018	सूखा	बारिश कम	_	_	203 हे0 खेत	धान की फसल में
"	20.0	.6	हुई			प्रभावित	अतिरिक्त सिंचाई से
			ुर जल संचयन			21 111 131	लागत में वृद्धि
			क्षेत्रों पर				
			अतिक्रमण				
					L	l	

7.	2020	करोना का	गांव मे दिल्ली	2	70-80	रोजगार बाधित	टीकाकरण, जागरूकता
	-2021	प्रभाव	बम्बई से बाहर		लोग	तथा आर्थिक क्षति	गांव में साफ–सफाई
			से लोग आये				
8.	2021,	सूखा	बारिश कम	_	_	203 हे0 खेत	धान की फसल में
	2022		हुई			प्रभावित	अतिरिक्त सिंचाई से
			जल संचयन				लागत में वृद्धि
			क्षेत्रों पर				
			अतिक्रमण				

संलग्नक—5

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमां क	आजीविका के प्रकार	परिवार की	आपदा	आप	दा का प्रग	भाव	क्या प्रभाव पड़ता है ?
		संख्या		अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	250	जल जमाव				 लगभग 7 एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है। एक टोले से दूसरे टोले का आवागमन बन्द होने से कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है। रबी के मौसम में लगभग 2 एकड़ की भूमि में बुवाई का कार्य नहीं हो पाता है। धान में हर्दिया रोग हो जाता है धान की नर्सरी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। कम दिन के जलजमाव वाले क्षेत्र की पैदावार भी प्रभावित होता है।
			सूखा शीतलहर				 खेत की खड़ी फसल सूख जाता है। ि संचाई खर्च अधिक लगता है। फसलों की बढ़वार नहीं होता है। सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। फसलें झुलस जाती है। आलू में पाला की समस्या होती है। सरसों में माहो का प्रकोप बढ़ जाता है। फसलों का बढ़वार प्रभावितहो जाती है।

		ı	T T	
2.	मजदूरी	150	जल जमाव	आवागमन बाधित होता है। रोजगार बाधित होता है।
				 कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है।
				 मनरेगा का कार्य नहीं होने के कारण
				स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं
				मिलती है।
				 मजदूरी कार्य की जानकारी नहीं मिल पाती है।
			सूखा	 कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।
				• खान–पान पर प्रभाव पड़ता है।
				• आजीविका प्रभावित होती है।
				• आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।
				• पलायन करना पड़ता है।
			शीतलहर	• काम नहीं मिल पता है।
				• स्वास्थ्य खराब रहता है।
				• खर्चा बढ़ जाता है।
3.	पशुपालन (गाय,	50	जल जमाव	चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
	भैंस,			जलजमाव से चारागाह की खास
	बकरीपाल			खराब हो जाती है।
	न, मुर्गीपालन			• फसल डूब जाने से सूखा चारा नहीं
	आदि)			मिल पाता है।
			ਹੁਤਗ	• पशुओं में बीमारी हो जाती है।
			सूखा	 पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
				 गाय—भैंसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है।
				• चारा कम हो जाता है।
				• तपती धूप के कारण पशुओं में
				भयंकर बीमारी का होना।
				• मुर्गीपालन में बहुत नुकसान होता है।
				चूजे मर जाते है।
			शीतलहर	• पशुचारे की समस्या हो जाती है।
				 पशुओं में बीमारियां हो जाती है।
				 पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जात है।
				 बकरियों में पोकनी की बिमारी होने
				से बकरियों की मृत्यु हो जाती है।
				• मुर्गी पालन में चूजों की मृत्यु हो
				जाती है।

4.	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)	20	जल जमाव		 सामान लाने में असुविधा होती है। सामान महंगा हो जाता है। कच्चा माल खराब हो जाता है। जलजमाव के कारण माल के रखरखाव में समस्या होती है।
			शीतलहर		• व्यवसाय मंद पड़ जाता है।

रिपोर्ट टीम का नाम

- अंजू पाण्डेय,
 विजय कुमार पाण्डेय
 अमरजीत
 सत्येन्द्र त्रिपाठी

संस्था का नाम – गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं. सुझायी गई गतिविधियां विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला

अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव

हरित स्थानों और जैव विविधता को बेहतर बनाना

0.0				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है) चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना। चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।	वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि) ⁹³ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं) ट्री गार्ड (धातु) ⁹⁴ = ₹ 1,200 प्रति इकाई वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर	सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO ₂ e)
2	आरोग्य वन	 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/ हेक्टेयर माना जाता है
3	कृषि वानिकी	(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियां चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं) चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना	कृषि वानिकी की लागत ⁹⁵ = ₹ 40,000/हेक्टेयर⁹⁶	

⁹³ वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

⁹⁴ लागत बाजार भाव के अनुसार

⁹⁵ कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

⁹⁶ https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
सत	त कृषि			
1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50% चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100% चरण 3: मेड़ों का रखरखाव - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹⁷ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	चरण 1: 5-10 तालाब चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव 1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³ ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁸ = ₹ 90,000	

⁹⁷ एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत 98 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000 b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000 c. फसल प्रणाली का परिचय-जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500 d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500 e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागतॐ: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100	
5	सतत पशुधन प्रबंधन	सौर ऊर्जा संचालित शेड निर्माण चरण 1: 30% पशुधन के लिए शेड का निर्माण चरण 2: 60% पशुधन के लिए शेड का निर्माण चरण 3: 100% पशुधन के लिए शेड का निर्माण (नोट: यदि गौ शालाओं को सुझावों में सम्मिलित किया जाता है तो यह बहुत कुछ बदल जायेगा)	सौर ऊर्जा संचालित शेड 100 की लागत = ₹ 2 लाख सौर ऊर्जा संचालित मवेशी शेड के लिए गणना = 4 से 20 मवेशी प्रति मवेशी शेड (इनपुट के आधार पर)	

⁹⁹ यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश 100 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) चारा अनुपूरक चरण 1: 30% पशुधन के लिए चरण 2: 60% पशुधन के लिए चरण 3: 100% पशुधन के लिए	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला पूरक आहार की लागत = 6 रुपये प्रति दिन/ मवेशी अंतिम गणना = मवेशियों की संख्या * 365 * 20	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
ਯਨ	निकायों व	हा प्रबंधन और कायाकल्प चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों	10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल	
•	संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्ढों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई) चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना	संचयन संरचना की लागत ¹⁰¹ = ₹ 35,000 1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत = ₹ 35,000	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत ¹⁰² : 1. 1 तालाब का जीणोंद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹ 7 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट	

¹⁰¹ छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008) 102 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	
सतत और उन्नत गतिशीलता				
1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹⁰³ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
सत	त ठोस अप	शिष्ट प्रबंधन		
1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	चरण 1: a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था c. कूड़ादानों की स्थापना d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना	कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें; बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)	
		चरण 2: a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना	प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत अतिरिक्त कूड़ादान =	
		c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था	एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक	

भवन, पार्क, आदि) की पहचान

करके अनुमानित करना ।

रखरखाव

e. साझेदारी को बढ़ाना

d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁴ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰⁵ = ₹ 15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ¹⁰⁶ = ₹ 50,000 प्रति यूनिट	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्ढों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न ¹⁰⁷ की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष _ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण ॥ और ॥।: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्ढों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁸ : 1. कम्पोस्ट गड्ढों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे = ₹ 4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹ 35,00,000	

¹⁰⁴ लागत बाज़ार भाव के अनुसार

¹⁰⁵ एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

¹⁰⁶ लागत बाज़ार भाव के अनुसार

 $^{107 \} https://www.biocycle.net/connection-co_2-math-for-compost-benefits/\#: \sim : text=In\%20 the\%20 process\%20 of\%20 making\%20 compost\%20 process\%20 of\%20 making\%20 compost\%20 process\%20 of\%20 making\%20 process\%20 of\%20 process\%20 process\%$

¹⁰⁸ एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	एकल- उपयोग- प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता- निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र.	सुझायी ग
सं.	गतिविधिय

विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सौर छतें

चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता

सौर क्षमता[#] की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें। वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/1000 = टन CO<

#https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365

चरण 2 और 3:

परिवार

अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर

चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्कें घरों का 40%

चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%

#एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत# = ₹ 50,000 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक

उत्पादित बिजली/365

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि- फोटोबोल्टिक	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत ¹⁰⁹ = ₹ 1 लाख प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत ¹¹⁰ = ₹ 3 से 5 लाख	डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO ₂ e)

¹⁰⁹ स्थाापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार 110 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग	चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता	1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000 1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ 3,000 ¹¹¹	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना । चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा	1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70 1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220 1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110 ¹¹²	

¹¹¹ बाजार दर के अनुसार लागत

¹¹² विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000 ¹¹³	
आज	ीविका औ	र हरित उद्यमशीलता को ब	ढ़ाना	
1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत ¹¹⁴ : ₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट	

¹¹³ बाजार दर के अनुसार लागत

¹¹⁴ बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक v: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं,मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सिहत, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धितयों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी ३: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जिनत रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी ६: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुन: इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a: अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सिहत जल और स्वच्छता संबंधी गितविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी ७: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी ८: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी ९: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी ११: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपिशाष्ट्रों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी १३: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी १५: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करनालक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण		
इमारती लकड़ी के पेड़					
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।		
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।		
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।		
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि		
मधुका लोंगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।		
शोरिया रोबस्टा	डिप्टरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।		
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।		
फल और जंगली ख	ाद्य पौधे				
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है		
आर्टीकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।		
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।		

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियां, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।
औषधीय गुणों वाले	पेड़		
विथानियासोम्निफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंड्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैंथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले	लुप्तप्राय पेड़		
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्परैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मीन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।









